अभिभावकों के अधिकार

मेरीलैंड प्रक्रियात्मक संरक्षणो का नोटिस

शिशु और छोटे बच्चे/ प्रिस्कूल खास शिक्षा एवं खास शिक्षा

नवीनीकृत जनवरी **2010**

Maryland State Department of Education
Achievement Matters Most

MSDE
Division of Special Education/
Early Intervention Services

अभिभावकों के अधिकार
मेरीलैंड प्रक्रियात्मक संरक्षणो का नोटिस
शिशु और छोटे बच्चे, प्रिस्कूल, खास शिक्षा
जनवरी 2010

मेरीलैंड स्टेट का शिक्षा विभाग जाति, रंग, लिंग, उम्र, राष्ट्रीयता, धर्म, या फिर अक्षमता के आधार पर रोजगार संबंधी मामलों और योजनाओं के उपयोग में विभेद नहीं करता है। विभाग की नीतियों संबंधी किसी भी सवाल के लिए कृपया इक्विटि अश्योरन्स एंड कम्प्लायन्स ब्रांच से संपर्क करें, वॉइस (410) 767-0433 या फैक्स (410) 767-0431. अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट (ADA) के तहत इस दस्तावेज के वैकल्पिक प्रारूप को आवेदन कर हाँसिल किया जा सकता है। इसके लिए डिविज़न ऑफ स्पेश्यल एजुकेशन/अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज से संपर्क करें वॉइस (410) 767-0242 या फैक्स (410) 333-1571.

यु एस डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज से प्राप्त आर्थिक मदद **IDEA Part C Grant #H181A090124** और IDEA Part B Grant #H027A020035A, से डिवीजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/ अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज ने इस दस्तावेज को विकसित और तैयार किया है। डिवीजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/ अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, यु.एस. डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है। यह जानकारी कॉपीराइट मुक्त है। पाठकों को इसकी नकल बनाकर दूसरों को वितरित करने का प्रोत्साहित किया जाता है, पर कृपया डिविज़न ऑफ स्पेश्यल एजुकेशन/अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज, मेरीलैंड स्टेट डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन का ऋण स्वीकार करें।

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/Early Intervention Services
200 West Baltimore Street, 9th floor
Baltimore, Maryland 21201
410-767-0858 (phone)
410-333-1571 (fax)
www.marylandpublicschools.org

विषय सूची

प्रक्रियात्मक संरक्षणों का नोटिस 1
मातृभाषा 1
इलैक्ट्रॉनिक मेल 1
पूर्व लिखित नोटिस .... **Error! Bookmark not defined.**
नोटिसः 2
लिखित नोटिस का विषयवस्तुः 2
सहमति 2
केवल IFSP सेवाओं के लिए अभिभावक की सहमतिः 2
केवल IFSP सेवाओं के लिए सेवा का अस्वीकार करने का अभिभावक का अधिकारः 3
अभिभावक की सहमतिः 3
प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावक की सहमतिः 3
केवल IFSP सेवाओं के लिए प्रतिनिधि (सरोगेट) अभिभावकः 3
राज्याश्रित बच्चों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए खास नियमः 4
सेवाओं के लिए अभिभावक की सहमतिः 4
सेवाओं के लिए अभिभावक की सहमति वापिस लेनाः 4
पुनर्मूल्यांकनों के लिए अभिभावक की सहमतिः 5
अभिभावक की सहमति प्राप्त करने के पर्याप्त प्रयासों का प्रलेखीकरणः 5
सहमति संबंधी अन्य आवश्यकताएंः 5
स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन 6
परिभाषाएंः 6
सार्वजनिक एजेंसी के मानदण्डः 7
सरकारी खर्च पर मूल्यांकन कराने का अभिभावक का अधिकारः 7
अभिभावक के द्वारा करवाया गया मूल्यांकनः 7
किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (न्यायाधीश –ALJ)के द्वारा मूल्यांकन की माँगः 7
जानकारी की गोपनीयताः 8
परिभाषाएंः 8
संरक्षणः 8
सहमतिः 8
उपयोग के अधिकारः 9
उपयोग के रिकॉर्डः 9
अभिभावक के द्वारा माँग किये जाने पर रिकॉर्डों में सुधारः 10
जानकारी के विनाश के लिए कार्यवाहीः 10
बच्चों के अधिकारः 10
अनुशासन संबंधी जानकारीः 10
विकलांग बच्चों का अनुशासन .... **Error! Bookmark not defined.**
परिभाषाएंः 11
स्कूल के कर्मचारियों का अधिकारः 11
लक्षणों के प्रत्यक्ष होने का निर्धारणः 11
स्थान नियोजन में परिवर्तनः 12
अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजनः 12
अनुशासन संबंधी कार्यवाही के खिलाफ अपीलः 12
ऐसा बच्चा जिसे अब तक पात्र निर्धारित नहीं किया गया हैः 13
पुलिस एवं न्यायिक प्राधिकारियों को अनुशंसा और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही 13
अभिभावक द्वारा एकतरफा निर्णय से बच्चे का सरकारी खर्चे पर निजी स्कूल में भेजा जाना 14
क्षतिपूर्ति पर सीमा बंधनः 14
वयस्कता की आयु में अभिभावक के अधिकारों का हस्तांतरण 15

असहमतिओं का समाधान करना 15
मध्यस्थताः 15
मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए मुलाकातः 16
स्टेट कम्प्लेन्ट और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के बीच अंतरः 16
स्टेट कम्प्लेन्टः 17
स्टेट कम्प्लेन्ट का समाधान करनाः 18
किसी डयु प्रोसेस हियरिंग का विषय हो ऐसी स्टेट कम्प्लेन्ट का समाधान करनाः 18
डयु प्रोसेस कम्प्लेन्टः 18
डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट की सामग्रीः 18
डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट को प्रतिभावः 19
नोटिस की पर्याप्तताः 19
कार्रवाइयों के दौरान बच्चे की स्थितिः 19
समाधान प्रक्रियाः 20
30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल में अनुकूलनः 20
समाधान परिनिर्धारण अनुबंधः 21
डयु प्रोसेस हियरिंगः 21
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (न्यायाधीश – ALJ): 21
किसी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट का विषय वस्तुः 21
हियरिंग से संबंधित अधिकारः 21
जानकारी का अतिरिक्त प्रकटीकरणः 22
अभिभावक के अधिकारः 22
हियरिंग का फैसलाः 22
अलग डयु प्रोसेस कम्प्लेन्टः 22
हियरिंग की समयसीमाएं और सहूलियतः 22
शीघ्रता से निर्णय के लिए समयसीमाएंः 23
हियरिंग के फैसले की निश्चयात्मकताः 23
अपीलः 23
वकील की फीस 23
संलग्नः IDEA असहमति के समाधान की प्रक्रियाओं की तुलना करता हुआ चार्ट 25

प्रक्रियात्मक संरक्षणों का नोटिस

प्रक्रियात्मक संरक्षणों के नोटिस में आपके अधिकारों को सरलता से समझा जा सके ऐसे स्वरूप में आपकी मातृभाषा में समझाया गया है। यह प्रक्रियात्मक संरक्षणों का नोटिस किसी इन्डिविज्युअलाइज़्ड फैमिलि सर्विस प्लान (IFSP) के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों और परिवारों, एवं किसी इन्डिविज्युअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों/ विद्यार्थियों को को लागू होता है।

इस दस्तावेज में शामिल संरक्षण 2004 के इंडिविजूअल्स विद डिसेबिलिटिज़ एजुकेशन इम्प्रूवमैन्ट एक्ट (IDEA 2004), 20 U.S.C. §1400 *et seq.*, नामक फेडरल कानून और कोड ऑफ मेरीलैंड रेगुलेशन्स या COMAR के निम्नलिखित प्रकरणों COMAR 13A.05.01, COMAR 13A.08.03, और COMAR 13A.13.01से स्थापित हुए हैं। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी ऐसे प्रक्रियात्मक संरक्षण स्थापित करेगी जो कि IDEA 2004 की आवश्यकताओं को पूरा करें, उनको बनाये रखेगी और उनका अमल करेगी। सार्वजनिक एजेंसी वह एजेंसी है जो कि बच्चे को IFSP या IEP सेवाएं प्रदान करती है।

अभिभावकों को प्रक्रियात्मक संरक्षणों का दस्तावेज साल में एक बार मिलना चाहिए, अलावा इसके कि कोई सार्वजनिक एजेंसी इन परिस्थितियों में अभिभावकों को उसकी दूसरी प्रति दे:

- प्राथमिक अनुशंसा के समय या अभिभावक द्वारा मूल्यांकन की माँग किये जाने पर;
- किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान 34 CFR 300.151 से 300.153 के तहत प्रथम राज्य खास शिक्षा शिकायत मिलने पर;
- किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान 34 C.F.R. §300.507 के तहत प्रथम डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट मिलने पर;
- जब अनुशासन के कदम उठाने का निर्णय लिया जाए तब; और
- अभिभावक के द्वारा माँग किये जाने पर।

कोई सार्वजनिक एजेंसी यदि उसका कोई वेबसाइट हो तो प्रक्रियात्मक संरक्षणों के नोटिस की हाली प्रति अपने इन्टरनेट वेबसाइट पर भी रख सकती है।

प्रक्रियात्मक संरक्षणों के दस्तावेज में सरलता से समझ आ सके उस तरह से अभिभावक की मातृभाषा में अभिभावकों के अधिकार का पूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करता है, अलावा इसके कि ऐसा करने स्पष्ट रूप से संभव न हो। यदि अभिभावक की मातृभाषा या उनके संचार के अन्य माध्यम कोई लिखित भाषा नहीं हैं तो सार्वजनिक एजेंसी यह निश्चित करेगी कि प्रक्रियात्मक संरक्षण मौखिक रूप से या किसी अन्य तरीके से अभिभावक की मातृभाषा में या संचार के अन्य माध्यम में अनुवादित किये जाएं। सार्वजनिक एजेंसी को इस बात का प्रलेखीकरण करने के लिए लिखित प्रमाण रखने चाहिएं कि नोटिस का अनुवाद किया गया था और अभिभावक प्रक्रियात्मक संरक्षण का सारांश समझे थे।

मातृभाषा

अभिभावकों को वे समझ सकें उस भाषा में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

जब उसका प्रयोग उस व्यक्ति के साथ किया जाता है, जिसका अंग्रेजी का कौशल्य सीमित हो, मातृभाषा का अर्थ निम्नलिखित होता है:

- उस व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा, या, बच्चे के मामले में बच्चे के अभिभावकों के द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाती भाषा;
- बच्चे के साथ सारे सीधे संपर्क में (जिस में बच्चे का मूल्यांकन शामिल है), बच्चा आम तौर पर जो भाषा घर पर या सीखने के वातावरण में उपयोग करता है।

बहरेपन या अंधत्व वाले किसी व्यक्ति के लिए या जिस व्यक्ति की कोई लिखित भाषा न हो, संचार माध्यम वह व्यक्ति जो आम तौर पर इस्तेमाल करता है, वह है (जैसे की साइन लेंग्वेज – संकेत भाषा, ब्रेइल, या मौखिक संचार)।

इलैक्ट्रॉनिक मेल

यदि यह विकल्प उपलब्ध हो, अभिभाक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस प्राप्त करना चुन सकते हैं। यदि एजेंसी अभिभावकों को ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है तो आप निम्नलिखित जानकारी ई–मेल से प्राप्त करना चुन सकते हैं:

- पूर्व लिखित नोटिस;
- प्रक्रियात्मक संरक्षणों का नोटिस; <u>और</u>
- ड्यु प्रोसेस की माँग से संबंधित नोटिस।

पूर्व लिखित नोटिस

अभिभावकों को सार्वजनिक एजेंसी के अपने बच्चे की अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाओं और खास शिक्षा से संबंधित कार्यों के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

<u>नोटिस:</u>

सार्वजनिक एजेंसी को वो जब ऐसा करती है तब प्रत्येक बार अभिभावकों को लिखित नोटिस भेजना चाहिए:

- जब वह किसी बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम, या उसका शैक्षणिक स्थान, या बच्चे को प्रदान की जा रही निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा (FAPE); या केवल सेवाओं के लिए ही बच्चे और उसके परिवार को प्रदान की जानेवाली अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज़ प्रारंभ करने या बदलने का विचार करती है।
- जब वह किसी बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम, या उसका शैक्षणिक स्थान, या बच्चे को प्रदान की जा FAPE प्रारंभ करने या बदलने से इन्कार करती है।

जब लिखित नोटिस किसी ऐसे कार्य से संबंधित हो जिसके लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक हो तो सार्वजनिक एजेंसी उसी समय लिखित नोटिस दे सकती है।

<u>लिखित नोटिस की सामग्री:</u>

लिखित नोटिस में:

- सार्वजनिक एजेंसी ने जिन कदमों को उठाने का प्रस्ताव रखा या उठाने से इन्कार कर दिया उनका वर्णन होना ही चाहिए;
- यह समझाना चाहिए कि सार्वजनिक एजेंसी उन कदमों को उठाने का प्रस्ताव क्यों रख रही है, या उससे इन्कार क्यों कर रही है;
- उस प्रत्येक प्रक्रिया, मूल्यांकन, रिकॉर्ड या रिपोर्ट का वर्णन होना चाहिए जिसका सार्वजनिक एजेंसी ने उन कदमों का प्रस्ताव रखने या इन्कार करने का निर्णय लेने के लिए उपयोग किया;
- यह विधान होना चाहिए कि IDEA के प्रावधानों के अंतर्गत अभिभावकों को प्रक्रियात्मक संरक्षणों के तहत सुरक्षा प्राप्त है;
- अभिभावकों को यह बताया जाना चाहिए कि यदि सार्वजनिक एजेंसी जो कदम उठाने का प्रस्ताव रख रही है या इन्कार कर रही है वह मूल्यांकन के लिए कोई प्रारंभिक अनुशंसा नहीं है तो वे किस तरह से प्रक्रियात्मक संरक्षणों का वर्णन प्राप्त कर सकते हैं;
- ऐसे संसाधन शामिल होनें चाहिएं जिन से अभिभावक IDEA को समझने में सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं;
- उन किन्हीं भी अन्य विकल्पों का वर्णन होना चाहिए जिनके बारे में बच्चे के इन्डिविज्युअलाइज़्ड फैमिलि सर्विस प्लान (IFSP) टीम या इन्डिविज्युअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) टीम ने विचार किया और वे विकल्प क्यों नामंजूर किये गये थे उसके कारण; <u>और</u>
- सार्वजनिक एजेंसी ने क्यों कोई कदम उठाने का प्रस्ताव रखा या उसे उठाने से इन्कार कर दिया उसका वर्णन होना चाहिए।

सहमति

<u>केवल ष्ैच सेवाओं के लिए अभिभावक की सहमति:</u>

इन से पहले लिखित जानकारीपूर्ण सहमति प्राप्त की जाएगी:

- बच्चे के प्रारंभिक मूल्यांकन और आंकलन का प्रारंभिक मूल्यांकन
- बच्चे के विकास को और भी बढ़ाने से संबंधित परिवार के संसाधन, वरीयताएं और चिंताओं को जानना

- अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज़ प्रदान करना शुरू करना और अतिरिक्त आंकलन
- यदि लिखित सहमति नहीं दी जाती, स्थानिक प्रमुख एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए योग्य प्रयास करेगी कि अभिभावकः
  - o पूर्ण रूप से मूल्यांकन और आंकलन या जो सेवाएं उपलब्ध होंगी उनके स्वरूप से अवगत हैं और
  - o समझते हैं कि जब तक लिखित सहमति नहीं दी जाती, बच्चा मूल्यांकन और आंकलन या सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाएगा

केवल ऍैच सेवाओं के लिए अभिभावक का सेवा को अस्वीकार करने का अधिकारः

किसी पात्र बच्चे के अभिभावक यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वे, उनका बच्चा या परिवार के अन्य सदस्य किसी अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विस का स्वीकार या अस्वीकार करेंगे और एक बार इस सेवा का स्वीकार करने के बाद अन्य अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाओं को जोखिम में डाले बिना उसका अस्वीकार कर सकते हैं। यदि कोई अभिभावक किसी तीन साल या उससे ज्यादा आयु के बच्चे के लिए अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाएं जारी रखना चुनते हैं तो उसमें एक शैक्षणिक घटक शामिल किया जाना चाहिए। यदि अभिभावक शैक्षणिक घटक प्राप्त करना नहीं चाहते हैंख तो वे अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाएं प्राप्त करने को पात्र नहीं रहते।

अभिभावक की सहमतिः

किसी बच्चे का खास शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए मूल्यांकन करने के लिए और खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अभिभावकों को किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले लेने का अधिकार है। मूल्यांकन के लिए सहमति को कुछ अपवाद हैं।

सहमति का अर्थ है किः

- जिस कार्य के लिए उनकी अनुमति माँगी जा रही है उससे संबंधित सारी जानकारी अभिभावकों को पूरी तरह से उनकी मातृभाषा में या अन्य संचार माध्यमों से दी गयी है;
- अभिभावक जिस कार्य के लिए उनसे अनुमति माँगी जा रही है उसको समझते हैं और उस के लिए लिखित रूप से सहमत हो रहे हैं, और सहमति उस कार्य का पूरा वर्णन करती है, और यह भी बताती है कि उसके कौन से रिकॉर्ड (यदि कोई हों) और किस को वितरित किये जायेंगे; और
- अभिभावक समझते हैं कि सहमति देना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है और उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

यदि अभिभावक सहमति वापस ले लेते हैं तो उससे जब सार्वजनिक एजेंसी को सहमति प्राप्त हुई और जब वह वापिस ले ली गयी उस बीच हुई किसी भी क्रिया को रद्द नहीं हो जाती।

यदि बच्चे को शुरूआत में खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान किये जाने के बाद अभिभावक उनके बच्चे को खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान किये जाने की सहमति रद्द करते हैं तो सार्वजनिक एजेंसी के लिए बच्चे ने खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त की होने के किसी भी उल्लेख को दूर करने के लिए बच्चे के शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड सुधारना आवश्यक नहीं है।

प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावक की सहमतिः

इससे पहले कि कोई सार्वजनिक एजेंसी कोई बच्चा खास शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए पात्र है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन कर सके, सार्वजनिक एजेंसी को यह करना ही चाहिएः

- अभिभावकों को प्रस्तावित कार्य की पूर्व लिखित नोटिस प्रदान करना; और
- अभिभावक की सहमति प्राप्त करना।

सार्वजनिक एजेंसी को क्या कोई बच्चा विकलांग है जिसे खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए जानकारी पूर्ण सहमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए किसी अभिभावक की सहमति का अर्थ यह नहीं होता कि अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी को उनके बच्चे को खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शुरू करने के लिए भी सहमति दे रहे हैं।

केवल ऍैच सेवाओं के लिए प्रतिनिधि (सरोगेट) अभिभावकः

मेरीलैंड स्टेट डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन किसी (सेवाओं को प्राप्त करने के लिए) पात्र बच्चे का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि (सरोगेट) अभिभावक नियुक्त करेगा, यदिः

- अभिभावक की पहचान न की जा सके
- पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के अभिभावक को खोज नहीं सकती

- बच्चा मेरीलैंड राज्य का आश्रित है

प्रतिनिधि (सरोगेट) अभिभावक के लिए मानदण्डः

- बच्चे के हितों के साथ कोई संघर्ष नहीं
- ऐसा ज्ञान और कौशल्य हों जो कि बच्चे का योग्य प्रतिनिधित्व होना सुनिश्चित करता है
- कोई सरकारी कर्मचारी या बच्चे या बच्चे के परिवार को खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान किये जाने में शामिल एजेंसी के कर्मचारी नहीं
- केवल इसलिए कर्मचारी एजेंसी नहीं माने जाते क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा सरोगेट अभिभावक बनने के लिए भुगतान किया जा रहा है

जब आवश्यकता पहचानी गयी हो तो स्थानीय प्रमुख एजेंसी मेरीलैंड स्टेट डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन को कोई सरोगेट अभिभावक नियुक्त करने के लिए एक लिखित आवेदन भेजेगी। डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन के सुप्रिन्टेन्डेन्ट या उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि किसी अनुशंसित व्यक्ति को सरोगेट अभिभावक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त करेंगे।

सरोगेट अभिभावक निम्नलिखित विषयों से संबंधित सभी मामलों में बच्चे का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं:

- बच्चे का मूल्यांकन और आंकलन
- वार्षिक मूल्यांकनों और कालांतर में होने वाली समीक्षाओं समेत बच्चे IFSP के का विकास और अमल
- बच्चे और उसके परिवार को अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाओं का जारी प्रदान

<u>राज्याश्रित बच्चों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए खास नियमः</u>

यदि बच्चा राज्य का आश्रित है और अपने माता–पिता के साथ नहीं रहता तो वह कोई विकलांग बच्चा है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, यदिः

- ऐसा करने के पर्याप्त प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के अभिभावकों को खोज नहीं पाती;
- राज्य के कानूनों के अंतर्गत अभिभावकों के अधिकार खत्म कर दिये गये हैं; <u>या</u>
- किसी न्यायाधीश ने शैक्षणिक निर्णय लेने और प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए सहमति देने का अधिकार किसी अभिभावक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा है।

<u>सेवाओं के लिए अभिभावकों की सहमतिः</u>

किसी बच्चे को पहली बार अर्ली इंटरवेन्श या खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले सार्वजनिक एजेंसी को जानकारी पूर्ण सहमति प्राप्त करने के पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चे की IFSP या IEP टीम के द्वारा अनुशंसित अर्ली इंटरवेन्श या खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं बच्चे को प्रदान की जाएं ऐसी सहमति या फैसला प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता या डयु प्रोसेस कार्यवाही का उपयोग <u>नही करना चाहिए</u> यदि अभिभावकः

- अपने बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेन्श या खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुमति देने से इन्कार कर दें; या
- अर्ली इंटरवेन्श या खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं पहली बार प्रदान किये जाने के लिए सहमति देने की बिनती का जवाब न दें।

यदि अभिभाव उनके बच्चे के लिए पहली बार खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुमति देने से इन्कार कर दें; या यदि अभिभावक सहमति प्रदान करने की बिनती का जवाब न दें तो सार्वजनिक एजेंसीः

- उनके बच्चे को निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षा (FAPE)उपलब्ध कराने की आव यकता का उल्लंघन नहीं कर रही है; <u>और</u>
- उनके बच्चे के लिए कोई इन्डिविज्युअलाइज़्ड फैमिलि सर्विस प्लान मीटिंग या इन्डिविज्युअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम मीटिंग आयोजित करने को या उनके बच्चे के लिए कोई IFSP/IEP विकसित करने के लिए बाध्य नहीं

<u>सेवाओं के लिए अभिभावक की सहमति वापस लेनाः</u>

यदि किसी बच्चे के अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शुरू कर ले उसके बाद खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं जारी रखने की सहमति लिखित रूप से वापस ले लेते हैं तो –

- सार्वजनिक एजेंसी के लिए आवश्यक नहीं है कि बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्डों को उन में से बच्चे के द्वारा उसके खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त किये जाने के संदर्भों को मिटा कर सुधारे क्योंकि सहमति रद्द कर दी गई है;
- सार्वजनिक एजेंसी बच्चे को खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करना जारी नहीं रख सकती, पर उसे खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करना बंद करने से पहले अभिभावक को अभिभावक की सभी खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करना बंद करने की माँग की लिखित नोटिस देनी पड़ेगी;
- सार्वजनिक एजेंसी सेवाएं बच्चे को प्रदान की जाएं ऐसा निर्णय प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता या डयु प्रोसेस कार्यवाही का उपयोग नहीं कर सकती;
- बच्चे को आगे से खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं कर पाने के कारण सार्वजनिक एजेंसी बच्चे को FAPE उपलब्ध कराने की आवश्यकता के उल्लंघन में नहीं मानी जाएगी; और
- सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के लिए आगे खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए IEP टीम की मीटिंग बुलाने या बच्चे के लिए IEP तैयार करने को बाध्य नहीं होगी।

सहमति वापिस ले लेने से जिस समय सार्वजनिक एजेंसी को सहमति प्राप्त हुई और सहमति वापस लिये जाने के बीच के समय में हुआ कोई भी कार्य रद्द नहीं हो जाता।

<u>पुनर्मूल्यांकनों के लिए अभिभावक की सहमतिः</u>

वह किसी भी बच्चे का नया व्यक्तिगत मूल्यांकन करे उससे पहले किसी सार्वजनिक एजेंसी को जानकारी पूर्ण सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए, अलावा इसके कि सार्वजनिक एजेंसी यह दिखा सके किः

- उसने पुनर्मूल्यांकन के लिए अभिभावक की सहमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए; <u>और</u>
- अभिभावक ने जवाब नहीं दिया।

यदि अभिभावक नये मूल्यांकनों के लिए सहमति देने से इन्कार करते हैं तो सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता और डयु प्रोसेस कार्यवहियों से अभिभावक के इन्कार का उल्लंघन करने की अनुमति माँग सकती है, पर वह ऐसा करने को बाध्य नहीं है। जैसा कि प्रारंभिक मूल्यांकन में होता है, यदि वह नये मूल्यांकन करने से इन्कार कर देती है तो सार्वजनिक एजेंसी IDEA के तहत अपने फर्ज का उल्लंघन नहीं करती।

<u>अभिभावक की सहमति प्राप्त करने के पर्याप्त प्रयासों का प्रलेखीकरणः</u>

सार्वजनिक एजेंसी को प्रारंभिक मूल्यांकन, पहली बार अर्ली इन्टरवेन्शन या खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने और प्रारंभिक मूल्यांकनों के लिए राज्याश्रित बच्चों के अभिभावकों को खोजने के अपने पर्याप्त प्रयासों का प्रलेखीकरण करना चाहिए।

प्रलेखीकरण में सार्वजनिक एजेंसी के अभिभावक की सहमति प्राप्त करने के प्रयासों के निम्नलिखित रिकॉर्ड शामिल होने चाहिएः

- संपर्क के लिए किये गये फोन कॉल्स या कॉल करने के प्रयासों के विस्तृत रिकॉर्ड और इन कॉल्स के परिणाम;
- अभिभावकों से किये गये पत्राचार की प्रतियाँ और उन से प्राप्त किन्हीं जवाबों की प्रतियाँ; <u>और</u>
- अभिभावक के घर या कार्यस्थल की मुलाकात के विस्तृत रिकॉर्ड और इन मुलाकातों के परिणाम।

<u>सहमति के लिए अन्य आवश्यकताएंः</u>

कोई सार्वजनिक एजेंसी यह करे इससे पहले अभिभावक की सहमति की आवश्यकता नहीं हैः

- आपके बच्चे के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के भाग रूप अस्तित्वमान जानकारी की समीक्षा; <u>या</u>
- आपके बच्चे की कोई ऐसी परीक्षा लेना या अन्य मूल्यांकन देने के लिए परीक्षा देना जो कि सभी बच्चों को दी जाती है, अलावा इसके कि उस परीक्षण या मूल्यांकन से पहले सभी बच्चों के अभिभावकों से सहमति प्राप्त होना आवश्यक हो।

सार्वजनिक एजेंसी किसी अभिभावक के एक सेवा या प्रवृत्ति के लिए सहमति देने को इन्कार को अभिभावक या बच्चे को किसी भी और सेवा, लाभ या प्रवृत्ति से वंचित रखने के लिए नहीं कर सकती।

यदि कोई अभिभावक उसके अपने खर्चे पर अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में दाखिला दिलाता है तो सार्वजनिक एजेंसी उस बच्चे की पात्रता निर्धारित करने के लिए मध्यस्थता या डयु प्रोसेस प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकती और वह बच्चे को समान सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र समझने को भी बाध्य नहीं है यदिः

- अभिभावक अपने बच्चे के प्रारंभिक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए सहमति प्रदान नहीं करते; या
- अभिभावक सहमति प्रदान करने की बिनती का जवाब नहीं देते।

स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन

यदि कोई अभिभावक किसी सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा किये गये मूल्यांकन से असहमत हो तो अभिभावक को अपने बच्चे का किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यांकन कराने का अधिकार है जो कि उस सार्वजनिक एजेंसी के लिए काम नहीं करता।

परिभाषाएं:

- स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अर्थ है किसी ऐसे योग्यता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा परीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाएं करवाई जाना जो कि बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी के लिए काम नहीं करता; और
- सरकारी खर्च का अर्थ है कि सार्वजनिक एजेंसी या तो मूल्यांकन का पूरा खर्च उठाती है, या यह निश्चित करती है कि मूल्यांकन किसी और तरीके से अभिभावक को बिना किसी खर्च के उपलब्ध कराया जाए।

अभिभावकों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत के IDEA तहत अपने बच्चे का स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने का अधिकार है। सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन की माँग करने पर निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करेगीः

- स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन कहाँ प्राप्त किया जा सकता है; और
- किसी स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए लागू सार्वजनिक एजेंसी के मानदण्ड।

सार्वजनिक एजेंसी के मानदण्डः

जब कोई स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन सरकारी खर्चे पर किया जाता है तो मूल्यांकन के स्थान और परीक्षक की योग्याताओं समेत वे मानदण्ड जिनके तहत स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह के हाने चाहिए जैसे कि कोई मूल्यांकन करते समय कोई सार्वजनिक एजेंसी इस्तेमाल करती है, जब तक कि ये मानदण्ड किसी अभिभावक के स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन कराने के अधिकार से सुसंगत हो। उपर बताए गये मानदण्डों के अलावा सार्वजनिक एजेंसी सरकारी खर्चे पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने के बारे में कोई शर्तें या समयसीमाएं निर्धारित नहीं कर सकती।

सरकारी खर्चे पर मूल्यांकन कराने का अभिभावक का अधिकारः

यदि अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्राप्त मूल्यांकन से असहमत हैं तो उन्हें सरकारी खर्चे पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने का अधिकार है। यदि अभिभावक सरकारी खर्चे पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने की माँग करते हैं तो सरकारी एजेंसी को बिना बेवजह विलंब के, या तोः

- यह सिद्ध करने के लिए कि उसका मूल्यांकन योग्य है, एक डयु प्रोसेस हियरिंग शुरू करना चाहिए; या
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी खर्चे पर एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्रदान किया जाए, अलावा इसके कि किसी डयु प्रोसेस हियरिंग में सरकारी एजेंसी यह सिद्ध कर सके कि अभिभावकों के द्वारा प्राप्त मूल्यांकन ने सार्वजनिक एजेंसी के मानदण्डों को पूरा नहीं किया।

यदि सार्वजनिक एजेंसी डयु प्रोसेस हियरिंग शुरू करती है और उसका अंतिम निर्णय यह होता है कि सार्वजनिक एजेंसी का मूल्यांकन योग्य है, तब भी अभिभावकों को स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन कराने के अधिकार है, पर सरकारी खर्चे पर नहीं।

यदि अभिभावक किसी स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन की माँग करते हैं तो सरकारी एजेंसी उन से पूछ सकती है कि उन्हें सार्वजनिक मूल्यांकन से आपत्ति क्यों है। हालाँकि अभिभावक की स्पष्टता आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक एजेंसी सरकारी खर्चे पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्रदान करने में या सार्वजनिक एजेंसी के मूल्यांकन का बचाव करने के लिए डयु प्रोसेस हियरिंग शुरू करने में बिना वजह विलंब नहीं कर सकती।

अभिभावक द्वारा करवाया गया मूल्यांकनः

अभिभावकों को हमेशा अपने खुद के खर्चे पर किसी योग्यता प्राप्त व्यावसायिक से स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने का अधिकार है। किसी बच्चे को FAPE प्रदान करने संबंधी निर्णय लेते समय IFSP/IEP टीम को, यदि मूल्यांकन सार्वजनिक एजेंसी के मानदण्ड पूरे करता हो तो निजी खर्चा पर अभिभावक द्वारा करवाये गये मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी को भी ध्यान में लेना चाहिए। अभिभावक द्वारा करवाये गये निजी मूल्यांकन के परिणाम बच्चे से संबंधित किसी डयु प्रोसेस हियरिंग में सबूत के तौर पर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज ;।स्श्रद्ध द्वारा मूल्यांकन की माँगः

यदि ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स (OAH) के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) किसी डयु प्रोसेस हियरिंग के भाग रूप एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन किये जाने की माँग करते हैं तो मूल्यांकन सरकारी खर्चे पर होना चाहिए।

जानकारी की गोपनीयता

अभिभावकों को अपने बच्चों के रिकॉर्डस की समीक्षा करने का और यदि उन्हें लगता हो कि रिकॉर्ड सही नहीं है तो सार्वजनिक एजेंसी से अपने बच्चे के रिकॉर्ड को सुधारने को कहने का अधिकार है। अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये जाने की सहमति देने का अधिकार है, हालाँकि कुछ परिस्थितियों में सहमति आवश्यक नहीं है। अभिभावकों को सार्वजनिक एजेंसी को अपने बच्चे के अर्ली इन्टरवेन्शन अथवा शैक्षणिक रिकॉर्ड गोपनीय रखने की अपेक्षा रखने का और जब उसकी आगे आवश्यकता न हो तो सार्वजनिक एजेंसी से अपने बच्चे की शिक्षा संबंधी जानकारी को नष्ट करने की माँग करने का अधिकार है।

परिभाषाएंः

नष्ट करने का अर्थ है शारीरिक रूप से नष्ट करना या जानकारी से निजी पहचान के चिह्न हटा देना ताकि जानकारी की व्यक्तिगत पहचान न की जा सके।

शैक्षणिक रिकॉर्ड का अर्थ है अर्ली इन्टरवेन्शन रिकॉर्डस समेत 34 C.F.R. के भाग 99 (1974 के फैमिलि एजुकेश्नल राइट्स एंड प्रायवसी एक्ट [FERPA] का अमल करने वाले विनियमों)के अंतर्गत "शैक्षणिक रिकार्डस" की परिभाषा में शामिल रिकॉर्ड।

हिस्सा लेने वाली एजेंसी का अर्थ है ऐसी कोई भी एजेंसी या संस्थानृ जो कि निजी रूप से पहचान की जा सके ऐसी जानकारी इकट्ठा करती है, उसका रखरखाव करती है या निजी तौर पर पहचान की जा सके ऐसी जानकारी का उपयोग करती है, या जिससे के IDEA भाग C या भाग B के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की जाती है।

वैयक्तिक रूप से पहचान की जा सके ऐसी जानकारी में ये शामिल हैं:

- बच्चे, बच्चे के माता–पिता, या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम;
- बच्चे का पता;
- निजी पहचान का कोई चिह्न, जैसे कि बच्चे का सोशल सिक्योरिटि नंबर; या
- वैयक्तिक लक्षणों की एक सूची या ऐसी कोई भी जानकारी जिससे बच्चे को निश्चिय ही पहचाना जा सके।

संरक्षणः

भाग लेने वाली प्रत्येक एजेंसी एकत्रीकरण, भंडारण, प्रकटीकरण एवं विनाश के चरण में निजी रूप में पहचान की जा सके ऐसी जानकारी की गोपनीयता की सुरक्षा करेगी। सार्वजनिक एजेंसी का एक अधिकारी निजी रूप में पहचान की जा सके ऐसी जानकारी की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इन प्रक्रियात्मक संरक्षणों की आवश्यकता के अतिरिक्त, केन्द्र और राज्य के कानून भी शैक्षणिक रिकॉर्डस की सुरक्षा का नियमन करते हैं। सरकारी एजेंसियों के उन सभी कर्मचारियों जो कि निजी रूप से पहचान की जा सके ऐसी जानकारी इकट्ठा करते हें या उसका उपयोग करते हैं, को राज्य की निजी रूप से पहचान की जा सके ऐसी जानकारी संबंधी नीति और प्रक्रियाओं संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। भाग लेने वाली प्रत्येक एजेंसी अपने उन कर्मचारियों के नाम ओर पद की एक हाली सूची लोगों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध बनाएगी, जिन्हें संभवतः निजी रूप में पहचान की जा सके ऐसी जानकारी का उपयोग हो।

सहमतिः

सार्वजनिक एजेंसी को IDEA के अंतर्गत जानकारी एकत्रित करने वाली या उपयोग करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को, या IDEA के अंतर्गत विकलांग बच्चे को FAPE प्रदान किये जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए पहचान की जा सके ऐसी कोई भी जानकारी दिये जाने से पहले अभिभावक की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। किसी विकलांग बच्चे के द्वारा किये गये किसी जुर्म के संदर्भ में पुलिस या न्यायिक प्राधिकरण को की जाने वाली अनुशंसा में या उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों में दी जानेवाली जानकारी के लिए जब तक की वह जानकारी दिया जाना FERPA के अंतर्गत अनुमति दिया हो तो अभिभावक की सहमति की आवश्यकता नहीं
सार्वजनिक एजेंसी तब तब हिस्सा लेने वाली एजेंसियों को अभिभावक की सहमति के बिना जानकारी नहीं दे सकती जब तक कि उसे FERPA के अंतर्गत ऐसा करने का अधिकार प्राप्त न हुआ हो। MSDE ने सार्वजनिक एजेंसियों के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जिनमें दण्ड भी शामिल हैं, जिनका राज्य यह निश्चित करने के लिए उपयोग करता है कि उसके नीति और प्रक्रियाओं का अनुपालन हो, और IDEA और FERPA के अंतर्गत गोपनीयता की आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी के लिए आवश्यक है कि उसकी अभिभावकों को व्यक्तिगत पहचान की जा सके ऐसी जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त नोटिस देने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हों जिन में ये शामिल हैं:

- इस बात का वर्णन कि यह नोटिस राज्य के विविध जनसमूहों की मातृभाषा में दिया जाता है;
- इस बात का वर्णन कि किन बच्चों के बारे में व्यक्तिगत पहचान की जा सके ऐसी जानकारी रखी जाती है, और किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है;
- भाग लेने वाली एजेंसियों को व्यक्तिगत पहचान की जा सके ऐसी जानकारी के संग्रहण, तृतीय पक्ष को जानकारी, उसे रखने और उसका नाश करने के संबंध में जिन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा उसका सार;
- यदि कोई अभिभावक सहमति प्रदान करने से इन्कार करे तो जिन नीतियों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है उनका वर्णन; और
- इस जानकारी के संबंध में अभिभावकों और बच्चों के सारे अधिकारों का वर्णन जिन में FERPA अंतर्गत अधिकार और 34 C.F.R. §99 के विनियम लागू करने संबंधी जानकारी शामिल है।

किसी भी प्रमुख पहचान, स्थान या मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिये या अखबारों और अन्य संचार माध्यमों में जारी किया जाना चाहिए या दोनों, और इसका फैलाव इतना होना चाहिए कि उस प्रवृत्ति के अधिकारक्षेत्र में आने वाले अभिभावकों तक जानकारी पहुँच सके।

उपयोग के अधिकार:

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को उनके बच्चे से संबंधित पहचान, मूल्यांकन और शैक्षणिक स्थान निर्धारण, IFSP के विकास और अमल और FAPE प्रदान करने के लिए एकत्रित, जमा, या उपयोग किये जा रहे किन्हीं भी शैक्षणिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा करने की अनुमति प्रदान करेगी। सार्वजनिक एजेंसी बिना किसी अनावश्यक विलंब के IFSP या IEP से संबंधित किसी भी मीटिंग या किसी भी डयु प्रोसेस हियरिंग से पहले और किसी भी हाल में माँग किये जाने के 45 दिनों के भीतर यह माँग पूरी करेगी।

इस विभाग के अंतर्गत अभिभावक के शैक्षणिक रिकॉर्ड के निरीक्षण और समीक्षा के अधिकार में अभिभावक के निम्नलिखित के अधिकार शामिल हैं:

- रिकॉर्ड के संबंध में स्पष्टीकरणों और व्याख्याओं की योग्य माँगों पर सार्वजनिक एजेंसी से जवाब प्राप्त करने का अधिकार;
- यदि रिकॉर्ड की प्रतियाँ उपलब्ध न कराने से अभिभावक के रिकॉर्ड देखने और उनकी समीक्षा करने के अधिकार को उपयोग करना असंभव हो तो सार्वजनिक एजेंसी रिकॉर्ड की प्रतियाँ प्रदान करे ऐसी माँग करने का अधिकार; और
- अभिभावक के प्रतिनिधि से रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा कराने का अधिकार।

कोई सार्वजनिक एजेंसी तब तक यह पूर्वधारणा बनाए रख सकती है कि अभिभावकों को उनके बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण और समीक्षा करने का अधिकार है, जब तक कि उन्हें यह जानकारी न दी गयी हो कि किसी अभिभावक को संरक्षण, अलग होना और तलाक जैसे मामलों से संबंधित राज्य के कानूनों के अंतर्गत ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है।

उपयोग के रिकॉर्ड:

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसी के प्राधिकृत कर्मचारियों को छोड़ कर IDEA के भाग C अथवा भाग B के अंतर्गत एकत्रित, संग्रहित या उपयोग किये जाते शैक्षणिक रिकॉर्ड को देखने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगी जिसमें उस व्यक्ति का नाम, जिस दिन उसे वे देखने दिये गये वह तिथि और उस व्यक्ति को जिस उद्देश्य से उनके उपयोग का अधिकार दिया गया है वह शामिल होंगे। यदि किसी शैक्षणिक रिकॉर्ड में एक से अधिक बच्चों के बारे में जानकारी शामिल हो तो उन बच्चों के अभिभावकों को केवल अपने बच्चे से संबंधित जानकारी का निरीक्षण और समीक्षा करने का या उस खास जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी माँग किये जाने पर अभिभावकों को एकत्रित किये जाते, रखे जाते और उपयोग किये जाते शैक्षणिक रिकॉर्ड्स के प्रकार और स्थान की सूची उपलब्ध करायेगी। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों के लिए बनायी गयी शैक्षणिक रिकॉड्स की प्रतियों के लिए एक शुल्क लगा सकती है, बशर्ते यह शुल्क अभिभावकों को अपने रिकार्ड के निरीक्षण और समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता नहीं है। सार्वजनिक एजेंसी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स में सं जानकारी खोजने या प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं लगा सकती।

अभिभावक के द्वारा माँग किये जाने पर रिकॉर्डो में सुधारः

यदि किसी अभिभावक को लगता है कि IDEA के तहत एकत्रित किये जाते, रखे जाते और उपयोग किये जाते शैक्षणिक रिकॉर्ड्स में गल्ती है या वे भ्रामक हैं या उनके बच्चों की गोपनीयता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अभिभावक उस जानकारी को रखने वाली सार्वजनिक एजेंसी से उस जानकारी में सुधार करने की माँग कर सकते हैं। सार्वजनिक एजेंसी यह माँग प्राप्त होने के पर्याप्त समय में यह निश्चित कर लेगी कि क्या वह अभिभावक की माँग के अनुसार जानकारी सुधारेगी या नहीं। यदि सार्वजनिक एजेंसी माँग के मुताबिक जानकारी में सुधार करने से इन्कार करती है तो वह अभिभावक को अपने इन्कार की जानकारी देगी और अभिभावक को शैक्षणिक रिकॉर्ड्स में दर्ज जानकारी पर आपत्ति उठाने के लिए एक हियरिंग प्राप्त करने के अधिकार की भी जानकारी देगी। शैक्षणिक रिकॉर्ड्स में दर्ज जानकारी पर आपत्ति उठाने के लिए किये जाते हियरिंग में 34 C.F.R. §99.22 में पायी जाने वालीं FERPA प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

माँग किये जाने पर सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक को शैक्षणिक रिकॉर्ड्स में दर्ज जानकारी पर आपत्ति उठाने के लिए एक हियरिंग का अवसर प्रदान करेगी ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वह गलत, भ्रामक या किसी अन्य तरीके से आपके बच्चे की गोपनीयता या अन्य अधिकारों के उल्लंघन में नहीं है। यदि किसी हियरिंग के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक एजेंसी यह तय करती है कि जानकारी गलत, भ्रामक या किसी अन्य तरीके से बच्चे की गोपनीयता या अन्य अधिकारों के उल्लंघन में है तो सार्वजनिक एजेंसी उस जानकारी में यथोचित सुधार करेगी और अभिभावक को उस सुधार की लिखित जानकारी देगी। यदि किसी हियरिंग के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक एजेंसी यह तय करती है कि जानकारी गलत, भ्रामक या किसी अन्य तरीके से बच्चे की गोपनीयता या अन्य अधिकारों के उल्लंघन में नहीं है तो वह अभिभावक को उनके बच्चे के बारे में वह जो रिकॉर्ड रखती है उस में एक विधान रखने के अधिकार की जानकारी देगी, जिस में जानकारी के बारे में अभिभावक की टिप्पणी हो और सार्वजनिक एजेंसी के निर्णय से असहमत होने के कोई भी कारण दिये गये हों। आपके बच्चे के रिकॉर्ड में रखे गये किसी भी स्पष्टीकरण के लिए ऐसा होना चाहिए:

- यह सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा बच्चे के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में तब तक रखा जाना चाहिए जब तक की रिकॉर्ड या उसका वह हिस्सा जिस पर आपत्ति जतायी गयी है, सार्वजनिक एजेंसी के पास बना रहे; और
- बच्चे के रिकार्ड या उसके जिस हिस्से पर आपत्ति जतायी गयी है उसकी नकल की माँग करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्टीकरण की प्रति भी दी जानी चाहिए।

जानकारी के नाश के लिए कार्यवाहीः

यह आवश्यक है कि जब व्यक्तिगत रूप से पहचान की जा सके ऐसी जानकारी जो कि IDEA के तहत एकत्रित की जाती, रखी जाती या उपयोग की जाती है उसकी बच्चे को अर्ली इंटरवेन्शन या शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता न रहे तो सार्वजनिक एजेंसी इस बारे में अभिभावकों को जानकारी दे। यदि अभिभावक ऐसी माँग करते हैं तो इस जानकारी को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि बच्चे का नाम, पता और फोन नंबर, बच्चे के ग्रेड्स, उपस्थिति के रिकॉर्ड, जिन कक्षाओं में पढ़ा है उसके रिकॉर्ड जो ग्रेड स्तर पूर्ण किया है उसकी जानकारी और जो वर्ष पूरा किया है उसकी जानकारी समय सीमा के बिना रखी जा सकती है।

बच्चों के अधिकारः

FERPA के नियमों के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा संबंधी अभिभावकों के अधिकार जब बच्चा 18 साल की आयु का हो जाता है तो बच्चे को हस्तांतरित हो जाते हैं, सिवाय उस स्थिति के कि जब बच्चे की अक्षमता उसे राज्य के कानून के तहत असमर्थ करार देती है। यदि IDEA के भाग B के अंतर्गत आने वाले अभिभावक के अधिकार वयस्क बच्चे को हस्तांतरित होते हैं तो शैक्षणिक रिकॉर्ड से संबंधित अधिकार भी बच्चे को हस्तांतरित होने चाहिए। हालाँकि सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक और बच्चे को IDEA के तहत आवश्यक कोई भी नोटिस भेजना चाहिए। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए "वयस्कता की आयु में अभिभावक के अधिकारों का हस्तांतरण" वाला खंड देखें।

अनुशासन संबंधी जानकारीः

सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के रिकॉर्ड्स में बच्चे के खिलाफ हाल में और पहले लिये गये किन्हीं भी अनुशासन संबंधी कदमों की जानकारी का विधान शामिल कर सकती है और अनुशासन संबंधी जानकारी उसी हद तक प्रसारित कर सकती है जिस हद तक की यह किसी विकलांग बच्चे के रिकॉर्ड्स में शामिल की जाती है या प्रसारित की जाती है। विधान में बच्चे के द्वारा किये गये ऐसे किसी भी व्यवहार का वर्णन शामिल हो सकता है जिसके लिए अनुशासन संबंधी कदम उठाये गये जो कदम उठाये गये उनका वर्णन और ऐसी कोई भी जानकारी शामिल हो सकती है जो बच्चे और उसके निकट के अन्य व्यक्तिओं की सुरक्षा के लिए संबद्ध हो सकती है। यदि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, तो उसके बारे में भेजी जाने वाली किसी भी जानकारी के रिकॉर्ड में बच्चे के हाल के IEP और बच्चे के खिलाफ हाल में या पहले उठाये गये अनुशासन के किन्हीं भी कदमों का विधान होना चाहिए।

विकलांग बच्चों का अनुशासन

निम्नलिखित जानकारी 3 से 21 साल तक की आयु के ऐसे विकलांग बच्चों पर लागू होती है जो कि विस्तारित IFSP या IEP के माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

यदि सार्वजनिक एजेंसी उनके बच्चे के प्रति कुछ अनुशासन के कदम उठाती है तो अभिभावकों को कुछ खास प्रक्रियाएं और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। किसी बच्चे के एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यार्थी की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 10 से अधिक दिनों के लिए स्कूल से दूर किये जाने के बाद सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे को शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करनीं चाहिए।

परिभाषाएं:

इस भाग के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगीः

- नियंत्रित पदार्थ का अर्थ कोई ऐसी ड्रग या अन्य पदार्थ है जिसे कन्ट्रोल्ड सबस्टन्सिज़ एक्ट (21 U.S.C. 812(c)) के खंड 202(c) के शिडयूल I, II, III, IV,या V के तहत पहचाना गया
- गैरकानूनी ड्रग का मतलब है एक नियंत्रित पदार्थ, पर इस में ऐसा पदार्थ शामिल नहीं होता जो कि कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया हो या किसी लायसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा व्यावसायी की निगरानी में इस्तेमाल किया जा रहा हो, या कोई ऐसा पदार्थ जिसे के IDEA तहत या फैडरल कानून कि किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के अधिन किसी अन्य सत्ता के तले प्राप्त या उपयोग किया जाता है।
- हथियार शब्द का अर्थ युनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 18 के खंड 930 के प्रथम उपखंड (g) के अनुच्छेद (2) के तहत दिये गये "जोखिमी हथियार" शब्द को दिये गये अर्थ के जैसा है।
- गंभीर शारीरिक चोट का अर्थ है एक शारीरिक चोट जिससे मृत्यु, तीव्र शारीरिक पीड़ा, दीर्घकालिन और स्पष्ट रूप से देखी जा सके ऐसी विरूपता या शरीर के किसी अंग या मानसिक क्षमता को दीर्घकाल के लिए खो देना या उस में बाधा उत्पन्न होने का जोखिमह" (18 U.S.C. 13645(h)(3))।

स्कूल के कर्मचारियों का अधिकार:

स्कूल के कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विकलांग बच्चे को प्रत्येक उल्लंघन के लिए सभी बच्चों के लिए उपयोग की जाती अनुशासन नीति के अनुसार एक साथ अधिक से अधिक 10 स्कूल दिनों के लिए हटा सकते हैं, अलावा इसके कि यह निर्धारित किया जाए कि उसे हटाने से उसके हाली शैक्षिक स्थान से उसका स्थान बदल कर निम्नलिखत में से एक हो जाएगाः

- एक अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन;
- अन्य समायोजन; या
- निलम्बन।

जब विविध निकाले जाने की घटनाओं (एक बार में 10 दिन या कम) का जोड़ एक स्कूली साल में 10 दिनों से ज्यादा हो जाता है तो बच्चे की IFSP या IEP टीम आपके बच्चे को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सामान्य पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सेवाओं का विस्तार तय करती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी विकलांग बच्चे के लिए जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करता है, स्थान में परिवर्तन योग्य है या नहीं, स्कूल के कर्मचारी प्रत्येक किस्से की अनोखी परिस्थितियों के बारे में विचार कर सकते हैं। स्थान में परिवर्तन में लगातार 10 दिनों के लिए स्कूल से दूर किया जाना या एक के बाद एक किसी खास ढंग से स्कूल से दूर किया जाना शामिल है। जब अनुशासन के कदम के परिणामस्वरूप स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो सार्वजनिक एजेंसी जिस दिन यह फैसला करती है उस दिन नोटिस भेजती है और उसके साथ प्रक्रियात्मक संरक्षणों का दस्तावेज शामिल होना चाहिए।

लक्षणों के प्रत्यक्ष होने का निर्धारण:

आचार संहिता के किसी उल्लंघन के करण स्थान परिवर्तन के फैसले के 10 स्कूल दिनों के भीतर अभिभावक और बच्चे की IFSP टीम या IEP टीम को उसके IFSP या IFSP, शिक्षक के किन्हीं भी निरीक्षणों और अभिभावकों के द्वारा किसी भी

संबंधित जानकारी समेत बच्चे की फाइल पर उपलब्ध सारी संबद्ध जानकारी की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह व्यवहारः

- बच्चे की अक्षमता के कारण उत्पन्ना हुआ था या उसका बच्चे की अक्षमता से कोई सीधा महत्त्वपूर्ण संबंध था; या
- सार्वजनिक एजेंसी की बच्चे IFSP के IEP या का अमल करने की विफलता का सीधा नतीजा था।

यदि IEP टीम यह निर्धारित करती है कि उपरोक्त विधानों में से कोई भी एक लागू होता है तो उस व्यवहार को बच्चे की अक्षमता का प्रत्यक्ष लक्षण माना जाएगा।

यदि वह व्यवहार बच्चे की अक्षमता का प्रत्यक्ष लक्षण था तो IFSP टीम या IEP टीम को यह करना ही चाहिएः

- एक कार्यकारी व्यवहारिक आंकलन करना चाहिए और यदि सार्वजनिक एजेंसी ने पहले ऐसा नहीं किया हो तो बच्चे के लिए एक बिहेवियरल इन्टरवेन्शन प्लान लागू करना चाहिए;
- यदि उसका पहले ही ऐसा कोई प्लान हो तो बच्चे के बिहेवियर इन्टरवेन्शन प्लान की समीक्षा करनी चाहिए, और इस व्यवहार को सुधारने के लिए उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना चाहिए; और
- बच्चे को उस स्थान पर लौटाना चाहिए जिससे उसे दूर किया गया था, अलावा इसके कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के बिहेवियरल इन्टरवेन्शन प्लान में परिवर्तन के हिस्से के रूप में उसके स्थान को बदलने को सहमत हों, जिस में अपवाद रूप वह स्थिति है जिसमें बच्चे को ड्रग्स, हथियार या गंभीर शारीरिक चोट के लिए किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन में भेजा गया हो।

यदि वह व्यवहार बच्चे की अक्षमता का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है तो स्कूल के कर्मचारी बच्चे पर अनुशासन के वही कदम लागू कर सकते हैं जैसे कि अन्य बच्चों पर लागू होते हैं, अलावा इसके कि उसकी योग्य शैक्षणिक सेवाएं जारी रहनीं चाहिए।

स्थान में परिवर्तनः

जब किसी बच्चे को 10 से अधिक दिनों के लिए दूर किया जाता है तो वह स्थान में परिवर्तन कहलाता है, चाहे वह व्यावहार उसकी अक्षमता का प्रत्यक्ष लक्षण हो या न हो, या फिर जब बच्चे को ड्रग्स, हथियार या गंभीर शारीरिक चोट के लिए किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन (IAES) में भेजा गया हो, बच्चा भले ही किसी अन्य समायोजन के माध्यम से, पर साधारण शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना जारी रख कर उसके IEP में तय किये लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखने में सहायक होने के लिए सेवाएं प्राप्त करना जारी रखता है। बच्चे को जैसे योग्य हो, एक कार्यकारी व्यवहार आंकलन प्राप्त करना चाहिए और जैसे योग्य हो, बिहेवियर इंटरवेन्शन सेवाएं और परिवर्तन भी प्राप्त करने चाहिए जो कि उसके व्यावहारिक उल्लंघन को सुधारने के लिए तय किये गये हों, ताकि यह फिर से न हो। IEP टीम योग्य सेवाएं निर्धारित करती है और वह स्थान भी जहाँ ये सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजनः

निम्नलिखित किस्सों में स्कूल के कर्मचारी किसी बच्चे को इस बात को ध्यान में लिए बगैर, कि उसका व्यवहार बच्चे की अक्षमता का प्रत्यक्ष लक्षण करार दिया गया है कि नहीं, 45 स्कूल दिनों के लिए किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन में भेज सकते हैं, जहाँ बच्चाः

- स्कूल में, स्कूल के परिसर में, या किसी राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी स्कूल कार्यक्रम में हथियार ले जाता है या अपने पास रखता है;
- स्कूल में, स्कूल के परिसर में, या किसी राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी स्कूल कार्यक्रम में गैरकानूनी ड्रग्स अपने पास रखता है या इस्तेमाल करता है, या कोई नियंत्रित पदार्थ बेचता है या किसी को उसे बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है; या
- स्कूल में, स्कूल के परिसर में, या किसी राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी स्कूल कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाता है।

अनुशासन संबंधी कार्यवाही के खिलाफ अपीलः

यदि अभिभावक अक्षमता के प्रत्यक्ष लक्षण के निर्धारण से संबंधित फैसले या अनुशासन संबंधी कारणों से किसी भी स्थान पर भेजे जाने के फैसले से असहमत हैं तो अभिभावक ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स (OAH) और सार्वजनिक एजेंसी के पास एक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक एजेंसी यह मानती है कि बच्चा हाल में जिस स्थान पर है वहाँ

रहने से वह अपने को या अन्य लोगों को गंभीर चोट पहुँचा सकता है ऐसी संभावना है तो सार्वजनिक एजेंसी OAH और अभिभावकों के पास एक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल कर सकती है।

इस दस्तावेज के "असहमतियों का समाधान" हिस्से में वर्णित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) डयु प्रोसेस हियरिंग की कार्रवाई करते हैं। यह हियरिंग डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल किये जाने के 20 स्कूल दिनों के भीतर होगा और हियरिंग के बाद के 10 स्कूल दिनों के बाद इसके परिणाम स्वरूप एक निर्धारण होगा।

अनुशासन संबंधित किसी अपील में निर्धारण करने में ALJ ये कर सकते हैं:

- बच्चे को उसी स्थान पर वापिस भेज दे जहाँ से उसे हटाया गया था; या
- बच्चे को अधिकतम 45 दिनो के लिए किसी योग्य अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन में भेजने का आदेश दे यदि ALJ ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे को इसी स्थान पर बनाए रखने से बच्चे या अन्य लोगों को चोट पहुँचने की बहुत संभावना है।

जब अभिभावकों या सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा किसी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट की माँग की जाती है तो बच्चा ALJ का निर्णय आने तक या प्रदान की गयी समयसीमा के खतम होने (45 स्कूल दिनों से अधिक नहीं) – दोनों में से जो भी पहले हो, तक अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक समायोजन में रहता है, सिवाय इसके कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी ने किसी और बात पर सहमति साध ली हो।

<u>ऐसा बच्चा जिसे अब तक पात्र निधारित नहीं किया गया है:</u>

जिन बच्चों को खास शिक्षा प्राप्त करने को पात्र निर्धारित नहीं किया गया है, और जो ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि किसी भी नियम या आचार संहिता का उल्लंघन करता है, प्रदान किये गये किसी भी संरक्षण का अधिकार माँग सकता है, यदि व्यवहार होने से पहले सार्वजनिक एजेंसी यह जानती थी कि बच्चे को कोई अक्षमता है। सार्वजनिक एजेंसी के पास यह जानकारी थी यदि अनुशासन संबंधी कार्रवाई का कारण बनने वाला व्यावहार हुआ उससे पहले:

- अभिभावकों ने लिखित रूप में सार्वजनिक एजेंसी के किसी निरीक्षक या प्रशासकीय कर्मचारी या बच्चे के किसी शिक्षक के पास यह चिंता व्यक्त की कि उनके बच्चे को खास शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है;
- अभिभावकों ने मूल्यांकन की माँग की; या
- बच्चे के शिक्षक या स्कूल के अन्य कर्मचारियोंने बच्चे के किसी खास व्यवहार के बारे में सीधे खास शिक्षा निदेशक या सार्वजनिक एजेंसी के अन्य निरीक्षक अधिकारियों के सामने खास चिंता व्यक्त की हो।

सार्वजनिक एजेंसी को जानकारी है ऐसा नहीं माना जाता यदि:

- अभिभावकों ने सार्वजनिक एजेंसी को उनके बच्चे का मूल्यांकन करने देने से इन्कार कर दिया हो;
- अभिभावकों ने सार्वजनिक एजेंसी को उनके बच्चे को खास शिक्षा सेवाएं प्रदान करने देने से इन्कार दिया हो; <u>या</u>
- बच्चे का मूल्यांकन किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि वह IDEA के तहत एक विकलांग बच्चा नहीं है।

यदि अनुशासन संबंधी कदम उठाने से पहले सार्वजनिक एजेंसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चे को कोई अक्षमता है तो बच्चे पर अनुशासन के वही कदम उठाये जायेंगे जो कि उस जैसा व्यवहार करने वाले किसी विकलांग बच्चे पर उठाये जायेंगे।

यदि किसी अभिभावक ने उस समय खंड में मूल्यांकन के लिए माँग की जब उनका बच्चा किसी अनुशासन की प्रक्रिया में था तो मूल्यांकन जल्दी से किया जाना चाहिए। जब तक मूल्यांकन का परिणाम नहीं आता, बच्चा उसी शैक्षणिक स्थान में रहता है जो कि स्कूल प्राधिकारियों ने निश्चित किया है। यदि सार्वजनिक एजेंसी के मूल्यांकन के और अभिभावकों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बच्चा को विकलांग बच्चा निर्धारित किया जाता है तो सार्वजनिक एजेंसी को उसे खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करनी होंगी और विकलांग बच्चों को अनुशासित करने के लिए प्रक्रियात्मक संरक्षण लागू होंगे।

<u>पुलिस एवं न्यायिक प्राधिकारियों को अनुशंसा और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही</u>

IDEA सार्वजनिक एजेंसियों को योग्य प्राधिकारियों और पुलिस को किसी जुर्म की रिपोर्ट करने से रोकता नहीं है। न्यायिक प्राधिकारी किसी विकलांग बच्चे द्वारा किये गये किसी जुर्म के संबंध में फैडरल और राज्य के कानून लागू करने की अपनी

जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। कोई भी एजेंसी जो किसी जुर्म की रिपोर्ट करती है तो वह COMAR 13A.08.02 में अनुमति दिये जाने के अनुसार योग्य प्राधिकारियों को बच्चे के खास शिक्षा और किन्हीं भी अनुशासन संबंधी कार्रवाइयों के रिकॉर्ड की प्रतियाँ उपलब्ध करायेगी। वह विद्यार्थी के रिकॉर्ड अभिभावकों की सहमति के साथ या नीति में बताये गयो अपवादों के मुताबिक उनकी सहमति के प्रदान करेंगे।

अभिभावक द्वारा एकतरफा निर्णय से बच्चे का सरकारी खर्चे पर निजी स्कूल में भेजा जाना

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने कोई निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध करायी हो और तब भी अभिभावक ने अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में डालने का फैसला लिया हो तो IDEA के तहत यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक एजेंसी किसी विकलांग बच्चे की अर्ली इन्टरवेन्शन या खास शिक्षा और संबंधित सेवाओं समेत किसी निजी स्कूल में शिक्षा का खर्च उठाए।

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने कोई निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध करायी हो और तब भी अभिभावक ने अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में डालने का फैसला लिया हो तो IDEA के तहत यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक एजेंसी किसी विकलांग बच्चे की अर्ली इन्टरवेन्शन या खास शिक्षा और संबंधित सेवाओं समेत किसी निजी स्कूल में शिक्षा का खर्च उठाए। हालाँकि एजेंसी फैडरल नियमों के अधीन बच्चे को उनके अभिभावकों के द्वारा निजी स्कूलों में डाले जाने वाले बच्चों में शामिल करेगी। FAPE की उपलब्धता और आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसी के बीच की असहमतियाँ के IDEA तहत डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्रक्रियाओं के अधिकार क्षेत्र में आतीं हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए "असहमतियों का समाधान" विभाग देखें।

यदि किसी विकलांग बच्चे ने पहले किसी सार्वजनिक एजेंसी के प्राधिकार में खास शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त कीं थीं, और अभिभावक अपने बच्चे को सार्वजनिक एजेंसी की सहमति या अनुशंसा के बिना किसी निजी प्रिस्कूल, एलिमैन्टरी या सेकेन्डरी स्कूल में डाल देते हैं तो कोई ALJ या अदालत सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक को उस स्कूल में बच्चे को डालने के खर्चे की क्षतिपूर्ति करने को कह सकते हैं, यदि ALJ या अदालत को यह पता चलता है कि सार्वजनिक एजेंसी ने उस स्कूल में डाले जाने से पूर्व सही समय पर FAPE उपलब्ध नहीं कराया था और यह निजी स्कूल में डाला जाना योग्य है। कोई ALJ या अदालत आपकी अभिभावक के द्वारा करवाये गये दाखिले को तब भी योग्य मान सकते हैं जब वह सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती शिक्षा के राज्य के मानदण्डों को पूरा नहीं करता।

<u>क्षतिपूर्ति पर सीमाबंधनः</u>

कोई ALJ या अदालत क्षतिपूर्ति को घटा सकते हैं या उससे इन्कार कर सकते हैं यदिः

- अभिभावक ने अपने बच्चे को सार्वजनिक स्कूल में से हटाने से पहले जिस सब से हाल की IEP टीम मीटिंग में हिस्सा लिया, उसमें अभिभावक ने IEP टीम को नहीं बताया कि वे FAPE प्रदान करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थान का अस्वीकार कर रहे हैं, और ना ही उन्हों ने अपनी चिंताएं बतायीं और ना ही अपने बच्चे को सरकारी खर्चे पर किसी निजी स्कूल में दाखिल कराने का अपना इरादा जाहिर किया; या
- अभिभावक के द्वारा बच्चे को सार्वजनिक स्कूल में से हटा लिये जाने के कम से कम दस (10) कार्य दिवस (जिन में वे कार्य दिवस भी शामिल हैं जो किसी छुट्‌टी के दिन होते हैं) पहले अभिभावक ने सार्वजनिक एजेंसी को उनके अपने बच्चे को हटा लेने का लिखित नोटिस नहीं दिया, जिसमें उनके बच्चे के सार्वजनिक स्थान के बारे में उनकी चिंताएं शामिल थीं; या
- यदि उनके उनके बच्चे को सार्वजनिक स्कूल में से हटाने से पहले सार्वजनिक एजेंसी ने अभिभावकों को पूर्व लिखित नोटिस से अपने उनके बच्चे का मूल्यांकन करने के इरादे के बारे में जानकारी दी थी (जिसमें मूल्यांकन के उद्देश्य का योग्य और पर्याप्त विधान शामिल था), परंतु अभिभावकों ने अपने बच्चे को मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा; या
- अभिभावकों के द्वारा उठाये गये कदमों को कानूनन गैरवाजिब पाया गया।

उपरोक्त आवश्यकताओं को छोड़ कर, क्षतिपूर्ति की कीमतः

- घटायी नहीं जायेगी या अभिभावक के ऐसा नोटिस देने में विफल होने के कारण भरपाइ करने से इन्कार नहीं किया जाएगा, यदिः
  - सार्वजनिक एजेंसी ने अभिभावकों को नोटिस देने से रोका,
  - उपर बतायी गयी IDEA की नोटिस आवश्यकताओं के अंतर्गत अभिभावकों को लिखित नोटिस नहीं मिली,

- नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से बच्चे को शारीरिक हानि होने की संभावना है, और
- किसी अदालत या ALJ के अधिकार पर घटायी नहीं जायेगी नोटिस देने में विफल होने के कारण भरपाइ करने से इन्कार नहीं किया जाएगा, यदिः
  - अभिभावक शिक्षित नहीं हैं और अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, या
  - उपर बताये अनुसार नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से बच्चे को गंभीर भावनात्मक हानि होने की संभावना है।

वयस्कता की आयु में अभिभावक के अधिकारों का हस्तांतरण

मेरीलैंड में कुछ सीमित परिस्थितियों को छोड़ कर विकलांग बच्चों के वयस्क होने पर अभिभावक के अधिकार उन को हस्तांतरित नहीं होते।

मेरीलैंड के कानून के तहत कुछ सीमित परिस्थितियों में IDEA के तहत अभिभवकों को दिये जाने वाले सारे अधिकार विकलांग बच्चे को हस्तांतरित होंगे। यह हस्तांतरण तब होता है, जब बच्चा 18 वर्ष की आयु का हो जाता है, यदि बच्चे को राज्य के कानून के तहत असमर्थ करार नहीं दिया गया है <u>और</u> ऐसे दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है किः

- अभिभावक उपलब्ध नहीं है या अन्जान है, और बच्चा यह माँग करता है कि कोई सरोगेट अभिभावक नियुक्त किये जाने के स्थान पर अभिभावकों के अधिकार बच्चे को हस्तांतरित किये जाएं;
- पिछले साल के दौरान सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा बार–बार किये गये प्रयासों के बावजूद अभिभावकों ने बच्चे के लिए खास शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है;
- अभिभावकों ने खास शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इन्कार किया है;
- अभिभावक खास शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि अभिभावकों में से एक या दोनों लम्बे समय से अस्पताल में हैं, या किसी संस्थान् में हैं या उन्हें कोई गंभीर रोग या अक्षमता है और इसलिए उन्होंने अधिकार बच्चे को हस्तांतरित करने को सहमति दी है;
- उनके नियंत्रण के बाहर की अद्भूत परिस्थितियों के कारण अभिभावक खास शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते और इसलिए उन्होंने अधिकार बच्चे को हस्तांतरित करने को सहमति दी है; या
- बच्चा अपने अभिभावकों के घर के बाहर रहता है और किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी की देखभाल या संरक्षण में नहीं है।

यदि किसी विकलांग बच्चे के अभिभावक जिनके साथ बच्चा रहता है, 18 वर्ष की आयु में बच्चे को अधिकार हस्तांतरित होने को सहमत नहीं होते, और बच्चे को राज्य के कानून के तहत असमर्थ करार नहीं दिया गया है, तो अधिकार हस्तांतरित किये जाने चाहिये या नहीं यह तय करने के लिए दोनों पक्षों में से कोई भी एक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल कर सकता है।

यदि किसी विकलांग बच्चे का प्रतिनिधित्व फैडरल और राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी सरोगेट अभिभावक ने किया है तो सार्वजनिक एजेंसी फैडरल और राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक नोटिस बच्चे और सरोगेट अभिभावक दोनों को ही भेजेगी। सरोगेट अभिभावक को IDEA के तहत दिये गये सारे अधिकार बच्चे को हस्तांतरित हो जायेंगे यदि बच्चे को राज्य के कानून के अंतर्गत असमर्थ करार नहीं दिया गया है <u>और</u> बच्चा यह माँग करता है कि अधिकार हस्तांतरित हों।

असहमतियों का समाधान

निम्नलिखित प्रक्रियाएं अर्ली इन्टरवेन्शन या खास शिक्षण कार्यक्रम और संबंधित सेवाओं के बारे में असहमतियों के समाधान के लिए अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसियों को उपलब्ध कार्यवाहीओं का वर्णन करतीं हैं। इन विकल्पों में मध्यस्थता, स्टेट कम्प्लेन्ट और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट शामिल हैं।

<u>मध्यस्थताः</u>

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विकलांग बच्चे के अभिभावकों और बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी के बीच की असहमतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है।

ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स (OAH) के कोई कर्मचारी जो कि योग्यता प्राप्त हैं और जिन्होंने असरदार मध्यस्थता तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मध्यस्थता की कार्रवाई करते हैं। OAH के द्वारा चुने गये व्यक्ति के किसी भी निजी या व्यावसायिक हित में संघर्ष नहीं होगा।

- मध्यस्थता अभिभावक और बच्चे के अर्ली इन्टरवेन्शन या शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी के लिए बिना किसी लागत के उपलब्ध है, जिस में अभिभावकों को मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की जानेवाली मीटिंग शामिल है।
- मध्यस्थता के लिए माँग बच्चे के अर्ली इन्टरवेन्शन या शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी और OAH को की जानी होती है। अभिभावकों को मध्यस्थता के लिए आवेदन करने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी के पास से और MSDE की वेबसाइट **www.marylandpublicschools.org** पर एक फॉर्म उपलब्ध है। और सहायता के लिए सार्वजनिक एजेंसी के खास शिक्षा कार्यालय या MSDE डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज़ से संपर्क करें 410-767-7770.
- मध्यस्थता के दौरान अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी अपने साथ कोई वकील रख सकते हैं और उसकी सलाह ले सकते हैं।
- मध्यस्थता मुलाकात आम तौर पर कोई लिखित आवेदन मिलने के 20 दिनों के भीतर अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसी दोनों के लिए सहूलियतभरे किसी स्थान पर होगी।
- मध्यस्थता की मुलाकातें बंद दरवाजे के पीछे होने वाली कार्रवाई है। मध्यस्थता में होने वाली चर्चाएं गोपनीय रहनीं चाहिए और उनका किसी भी बाद में होने वाले डयु प्रोसेस हियरिंग या दीवानी कार्रवाई में सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। मध्यस्थता शुरू होने से पहले अभिभावकों या सार्वजनिक एजेंसी को गोपनीयता की शपथ पर हस्ताक्षर करने को कहा जा सकता है।
- मध्यस्थता में दोनों पक्षो के द्वारा साधी गयी सहमति को एक लिखित अनुबंध के रूप में रखा जाना चाहिए जो कि किसी भी राज्य की अदालत, जिसको इस तरह के केस सुनने का अधिकार है या किसी फैडरल डिस्ट्रिक्ट अदालत में अमल में लाया जा सके ।
- किसी भी सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक के अभिभावक की डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट पर हियरिंग प्राप्त करने के अधिकार को अस्वीकार करने या विलंब में डालने के लिए मध्यस्थता का उपयोग नहीं करना चाहिए।

मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के लिए मुलाकातः

जो अभिभावक मध्यस्थता की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चुनते हैं, उनसे सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक के लिए अनुकूल समय और स्थान पर मिल कर उन्हें मध्यस्थता के फायदे समझाने और अभिभावकों को इस प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रख सकती है।

स्टेट कम्प्लेन्ट और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के बीच अंतरः

मध्यस्थता के उपरांत अभिभावकों को सार्वजनिक एजेंसी से असहमति के समाधन के लिए स्टेट कम्प्लेन्ट प्रक्रिया या डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्रक्रिया का प्रयोग करने का अधिकार है। इन विकल्पों के अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं।

IDEA के विनियमों में स्टेट कम्प्लेन्ट और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के लिए अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि नीचे समझाया गया है, कोई भी व्यक्ति या संस्थान् किसी सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा किसी भी IDEA आवश्यकता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल की जा सकती है। किसी विकलांग बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, अर्ली इंटरवेन्शन सेवाओं या शैक्षणिक स्थान या बच्चे को निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षण (FAPE) प्रदान किये जाने संबंधी किसी भी मामले के संबंध में केवल अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी ही डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल कर सकते हैं।

सिवाय इसके कि समय सीमा योग्य तरीके से बढ़ायी गयी हो, आम तौर पर MSDE कर्मचारियों को 60 केलैन्डर दिनों के भीतर किसी स्टेट कम्प्लेन्ट का समाधान कर देना चाहिए। यदि अभिभावक के आवेदन पर या सार्वजनिक एजेंसी के आवेदन पर ALJ समयसीमा में खास बढोतरी नहीं करते हैं तो को डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट सुननी चाहिए (अगर वह समाधान मीटिंग या मध्यस्थता से हल नहीं हो गयी है) और समाधान समयकाल के खतम होने के 45 केलैन्डर दिनों के भीतर उन्हें एक लिखित फैसला देना चाहिए।

इन विकल्पों की रूपरेखा और तुलना के लिए इस दस्तावेज के साथ लगा संलग्न दस्तावेज देखें।

स्टेट कम्प्लेन्टः

व्यक्तिओं और संस्थानों को मेरीलैंड डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन (MSDE) के पास स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल करने का अधिकार है। राज्य छान–बीन कर सके इसके लिए लिखित कम्प्लेन्ट को IDEA विनियमों के अनुसार कुछ खास मापदण्ड पूरे करने पडेंगे।

यदि किसी व्यक्ति या संस्थान् को लगता है कि किसी सार्वजनिक एजेंसी ने किसी अर्ली इन्टरवेन्शन या स्पेशल एजुकेशन आवश्यकता से संबंधित किसी फैडरल या राज्य के कानून का उल्लंघन किया है, या सार्वजनिक एजेंसी ने किसी डयु प्रोसेस हियरिंग के फैसले पर अमल नहीं किया, एक स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल की जा सकती है। कम्प्लेन्ट MSDE के साथ फाइल की जानी चाहिए और इनके नाम से होनी चाहिएः Assistant State Superintendent, Division of Special Education/Early Intervention Services, MSDE, 200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201. MSDE के साथ स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल करने वाले व्यक्ति या संस्थान् को उसी समय कम्प्लेन्ट की एक प्रति सार्वजनिक एजेंसी को भी भेजनी चाहिए। कम्प्लेन्ट फाइल करने में सहायता के लिए विस्तृत प्रक्रिया और एक फॉर्म MSDE की वेबसाइट www.marylandpublicschools.org, पर या डिविज़न के कम्प्लेन्ट इनवेस्टिगेशन एंड डयु प्रोसेस ब्रांच को इस नंबर पर फोन करने पर उपलब्ध हैः 410-767-7770.

स्टेट कम्प्लेन्ट में ये शामिल होनें चाहिएः

- एक विधान कि सार्वजनिक एजेंसी ने किसी केन्द्रीय या राज्य के कानून या विनियम का उल्लंघन किया है;
- वे तथ्य जिन पर यह विधान आधारित है;
- स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल करने वाले व्यक्ति/संस्थान के हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी; और
- यदि स्टेट कम्प्लेन्ट किसी खास बच्चे के संदर्भ में उल्लंघन का आरोप लगा रही हैः
  - o बच्चे का नाम और घर का पता;
  - o बच्चा जिस में पढ़ता है उस स्कूल का नाम;
  - o यदि बच्चा या युवा बेघर है तो बच्चे के लिए उपलब्ध संपर्क जानकारी और बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का नाम;
  - o बच्चे की समस्या के प्रकार का विवरण, जिस में समस्या संबंधी तथ्य शामिल हैं; और
  - o जितनी जानकारी उपलब्ध है और स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल करते समय उस पक्ष को उपलब्ध है उस सीमा तक समस्या का प्रस्तावित समाधान।

स्टेट कम्प्लेन्ट में ऐसे उल्लंघन का आक्षेप हुआ होना चाहिए जो स्टेट के शिकायत प्राप्त करने से ज्यादा से ज्यादा एक साल पहले हुआ होना चाहिए। MSDE को अपने को प्राप्त तथ्यों की जानकारी स्टेट कम्प्लेन्ट प्राप्त होने के 60 केलैन्डर दिनों के भीतर जारी कर देनी चाहिए और वे 60 दिन की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, यदिः

- किसी शिकायत के संबंध में कोई खास परिस्थितियाँ अस्तित्व में हों; या
- उस में शामिल अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी ने स्वैच्छिक रूप से मध्यस्थता या असहमतियों के समाधान के किन्हीं अन्य वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए समयसीमा बढ़ाने को सहमति दी है।

MSDE कम से कम यह तो करेगा हीः

- यदि उसे आवश्यक निर्धारित किया जाए ता स्वतंत्र ऑन–साइट छानबीन;
- फरियाद करने वाले को मौखिक या लिखित रूप से स्टेट कम्प्लेन्ट में लगाये गये आरोपों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का मौका देना;
- सारी उपलब्ध जानकारी की समीक्षा कर इस बात का स्वतंत्र रूप से निर्धारण करना कि किसी सार्वजनिक एजेंसी ने फैडरल या राज्य के कानूनों की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है या नहीं; और
- फरियाद करने वाले और सार्वजनिक एजेंसी को एक लिखित फैसला जारी करना जो कि कम्प्लेन्ट में लगाये गये प्रत्येक आरोप का जवाब देता है और जिसमें प्राप्त तथ्य और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष हों।

फैसले में अंतिम फैसले के कारण और अंतिम फैसले के असरदार अमल के लिए प्रक्रियाएं, आवश्यक हो तो अंतिम फैसले के अमल के लिए तकनीकी सहाय कार्यों, बातचीत और अनुपालन प्राप्त करने के लिए सुधार की प्रवृत्तियाँ सभी शामिल होंगे। यदि MSDE निर्धारित करता है कि कोई सार्वजनिक एजेंसी उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने में विफल रही है तो अंतिम फेसले में सार्वजनिक एजेंसी किस तरह से बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं के नहीं प्रदान किये जाने को सुधार सकती है, और भविष्य में सभी विकलांग बच्चों के लिए योग्य सेवाएं प्रदान कर सकती है, यह भी बताया जाएगा।

स्टेट कम्प्लेन्ट का समाधान करना:

असहमति का समाधान करने के लिए मध्यस्थता और अन्य कम औपचारिक पद्धतियाँ उपलब्ध हो सकतीं हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यदि दोनों पक्ष शिकायत का समाधान कर लेते हैं तो केन्द्र सरकार के नियमों के तहत MSDE को खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी डयु प्रोसेस हियरिंग का विषय हो ऐसी स्टेट कम्प्लेन्ट का समाधान करना:

यदि MSDE को एक ऐसी स्टेट कम्प्लेन्ट मिलती है जो कि किसी डयु प्रोसेस हियरिंग का भी हिस्सा है, या, अगर किसी स्टेट कम्प्लेन्ट में एकाधिक मामले हैंঃ जिनमें से एक या अधिक किसी हियरिंग का हिस्सा हैं, MSDE को स्टेट कम्प्लेन्ट का ऐसा कोई भी हिस्सा एक तरफ रख देना चाहिए जो कि किसी डयु प्रोसेस हियरिंग में शामिल है, जब तक कि वह डयु प्रोसेस हियरिंग संपन्न न हो जाए। हालाँकि स्टेट कम्प्लेन्ट का ऐसा कोई भी हिस्सा जो कि डयु प्रोसेस हियरिंग का हिस्सा नहीं हो उसका उपर बतायी गयी समयसीमा और प्रक्रियाओं के अनुसार समाधान कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी स्टेट कम्प्लेन्ट में उठाये गये मामले को पहले उन्हीं पक्षों वाले किसी डयु प्रोसेस हियरिंग में हल कर दिया गया है तो हियरिंग का फैसला लागू होगा और MSDE शिकायत करने वाले को यह जानकारी देगा।

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट:

किसी विकलांग बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, अर्ली इंटरवेन्शन सेवाओं या शैक्षणिक स्थान या बच्चे को निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षण (FAPE) प्रदान किये जाने संबंधी किसी भी मामले के संबंध में अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल कर सकते हैं।

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में ऐसे उल्लंघन का आरोप लगाया जाना चाहिए जो कि उस डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट का आधार बनने वाली कथित घटना घटी उसके बारे में अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी को पता चला या पता चलना चाहिए था उससे दो साले से पहले न घटी हो।

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने जानबूझकर ऐसी भ्रामक बात कही कि उसने डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में पहचाने गये मामलों का समाधान कर दिया है और इसलिए अभिभावक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल नहीं कर पाये, या सार्वजनिक एजेंसी ने अभिभावक से कोई ऐसी जानकारी छुपायी जो IDEA के तहत उसे अभिभावक को देनी चाहिए थी तो यह समय सीमा लागू नहीं होती।

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने के लिए अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी (या अभिभावक के वकील या सार्वजनिक एजेंसी के वकील) को दूसरे पक्ष और को OAH एक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट देनी चाहिए। कम्प्लेन्ट में नीचे सूचीबद्ध सारी जानकारी होनी चाहिए और उसे गोपनीय रखा जाना चाहिए।

अभिभावकों को डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने में सहायता करने के लिए अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी से, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उससे और MSDE की वेबसाइट **www.marylandpublicschools.org** पर मध्यस्थता के लिए आवेदन और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फॉर्म नामक फॉर्म उपलब्ध है। अधिक सहायता के लिए सार्वजनिक एजेंसी के अर्ली इन्टरवेन्शन कार्यालय या MSDE डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विसेज का इस नंबर पर संपर्क करें: (410) 767-7770.

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट की सामग्री:

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में ये शामिल होने चाहिएं:

- बच्चे का नाम;
- बच्चे के घर का पता (या किसी बेघर बच्चे के लिए, उपलब्ध संपर्क जानकारी);
- बच्चा जिसमें पढ़ता है उस स्कूल का नाम;
- बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी का नाम (यानि कि स्थानीय शिक्षा प्रणाली);
- समस्या संबंधित तथ्यों के साथ प्रस्तावित या अस्वीकार किये गये शुरूआत या परिवर्तन संबंधी बच्चे की समस्या का वर्णन; और
- शिकायत के समय जितनी जानकारी उपलब्ध है और कम्प्लेन्ट फाइल करते समय उस पक्ष को उपलब्ध है उस सीमा तक समस्या का प्रस्तावित समाधान।

अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी तब तक एक डयु प्रोसेस हियरिंग प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी (या अभिभावक का वकील या सार्वजनिक एजेंसी का वकील) इस सारी जानकारी वाली डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल नहीं करते।

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट को प्रतिभावः

जब कोई पक्ष एक डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करता है तो बच्चे के अर्ली इन्टरवेन्शन और शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी यह करेगीः

- अभिभावक को उपलब्ध निःशुल्क या कम लागत वाली कानूनी और अन्य संबंधित सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगी;
- अभिभावक को प्रक्रियात्मक संरक्षणों के दस्तावेज की प्रति प्रदान करेगी; और
- अभिभावक को मध्यस्थता की उपलब्धि की जानकारी देगी।

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने अभिभावक को अभिभावक के द्वारा डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में उठाये गये मामलों के बारे में पुरोगामी लिखित नोटिस नहीं भेजा है तो डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक को जवाब भेजेगी जिसमें ये शामिल होंगेः

- सार्वजनिक एजेंसी क्यों कोई कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है या इन्कार करती है उसका स्पष्टीकरण;
- सार्वजनिक एजेंसी ने और जिन विकल्पों के बारे में सोचा उनका वर्णन और उन्हें क्यों ठुकरा दिया गया उसके कारण;
- ऐसा विधान कि विकलांग बच्चे के अभिभावकों को इस हिस्से में प्रक्रियात्मक संरक्षणों के तहत सुरक्षा प्राप्त है, और यदि यह नोटिस मूल्यांकन के लिए कोई प्रारंभिक अनुशंसा न हो तो इन को प्रक्रियात्मक संरक्षणों की प्रति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है; और
- IDEA की व्यवस्थाओं को समझने के लिए अभिभावक जिन से संपर्क कर सकते हैं उन स्रोतों की संपर्क जानकारी।

यह जवाब जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक एजेंसी को यह बताने से नहीं रोकता कि अभिभावक का डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट अपर्याप्त था।

किसी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के दूसरे पक्ष (अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी) को डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 10 केलैन्डर दिनों के भीतर ऐसा जवाब भेजना चाहिए जो कि खास कर डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में उठाये गये मामलों का जवाब देता हो।

नोटिस की पर्याप्तताः

यदि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त करने वाला पक्ष कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष और OAH को इस बात की लिखित जानकारी नहीं देता कि प्राप्त करने वाला पक्ष यह मानता है कि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट को पर्याप्त माना जाएगा। इस कमी की नोटिस को प्राप्त करने के पाँच (5) दिनों के भीतर OAH निर्धारित कर लेगा कि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं और तुरंत पक्षों को लिखित जानकारी भेजेगा।

कोई भी पक्ष अपनी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट को तभी सुधार सकता है जब दूसरा पक्ष इसके लिए लिखित रूप से सहमति दे और उसे नीचे बताये अनुसार एक समाधान मीटिंग के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का मौका दिया जाता है; या OAH किसी डयु प्रोसेस हियरिंग से पाँच (5) दिन पहले ऐसा करने की अनुमति प्रदान करता है। समाधान मीटिंग और डयु प्रोसेस के लिए समय सीमा सुधारी हुई डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के फाइल किये जाने के साथ फिर से शुरू होती है।

कार्रवाइयों के दौरान बच्चे की स्थितिः

कोई भी प्रशासकीय या कानूनी कार्रवाई जब तक बाकी हो (सिवाय उन स्थितियों के जिनके बारे में अनुशासन विभाग में बताया गया है), सिवा इसके कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी किसी और बात पर सहमत हों, बच्चे को उसके हाली अर्ली इन्टरवेन्शन या शैक्षणिक स्थान पर ही रहना होगा। यदि कार्यवाही में किसी सार्वजनिक स्कूल में दाखिले के लिए प्रारंभिक आवेदन शामिल हो तो बच्चे को अभिभावक की सहमति के साथ सारी कार्यवाही खतम हो तब तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। यदि ALJ का निर्णय अभिभावकों से सहमत हो कि अर्ली इन्टरवेन्शन सेवाओं या शैक्षणिक स्थान में

परिवर्तन योग्य है तो वह स्थान बच्चे का हाली स्थान बन जाता है, जब तक की बाद में किये जाने वाले अपीलों पर फैसला होना बाकी हो।

समाधान की प्रक्रियाः

किसी अभिभावक से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 15 केलैन्डर दिनों के भीतर और डयु प्रोसेस हियरिंग शुरू होने से पहले, सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक और इन्डिविज्युअलाइज़्ड फैमिलि सर्विस प्लान (IFSP) टीम या इन्डिविज्युअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) टीम के संबंधित सदस्य या सदस्यों, जिनके पास अभिभावक की डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में उठाये गये मुद्दों के बारे में खास जानकारी हो, उनके साथ एक मीटिंग का आयेजन करना चाहिए। मीटिंग मेंः

- सार्वजनिक एजेंसी के एक ऐसे प्रतिनिधि शामिल होनें चाहिए जिनके पास सार्वजनिक एजेंसी की तरफ से फैसला करने का अधिकार हो; <u>और</u>
- सार्वजनिक एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील तब तक नहीं हो सकते जब तक की अभिभावक अपने साथ किसी वकील को न लाएं।

अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी निर्धारित करते हैं कि IFSP या IEP टीम के कौन से सदस्य मीटिंग में उपस्थित रहेंगे।

इस मीटिंग का उद्देश्य अभिभावक के लिए डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट के बारे में चर्चा करना और इस शिकायत के आधार रूप तथ्यों के बारे में चर्चा करना हैख ताकि सार्वजनिक एजेंसी को असहमति का समाधान करने का मौका मिले।

समाधान के लिए मीटिंग आवश्यक नहीं है यदिः

- अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी लिखित स्वरूप में मीटिंग को छोड़ने को सहमत हैं;
- अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता का प्रयोग करने को सहमत होते हैं; या
- सार्वजनिक एजेंसी ने डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट शुरू किया हो।

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 30 केलैन्डर दिनों के भीतर (समाधान समय काल) डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट का अभिभावक के लिए संतोषकारक तरीके से समाधान नहीं किया हो तो डयु प्रोसेस हियरिंग हो सकता है।

अगर नीचे दिये गये <u>"30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल में अनुकूलन"</u> या <u>"शीघ्रता से निर्णय के लिए समयसीमाएं"</u> विभागों में वर्णित परिस्थितियों में कोई लागू नहीं होती तो 30 केलैन्डर दिनों के समाप्त होने पर अंतिम फैसला जारी करने की 45 केलैन्डर दिनों की समयसीमा शुरू होती है।

30 कैलेन्डर दिनों के समाधान काल में अनुकूलनः

उन परिस्थितियों को छोड़ कर जब अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी समाधान प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ाने के लिए, समाधान प्रक्रिया को छोड़ने के लिए या मध्यस्थता का प्रयोग करने के लिए सहमत हुए हों, जब कोई अभिभावक समाधान मीटिंग में हिस्सा नहीं लेता तो इससे जब तक मीटिंग नहीं हो जाती तब तक समाधान प्रक्रिया और डयु प्रोसेस हियरिंग की समय सीमाएं विलंबित होंगी।

यदि पर्याप्त प्रयास करने के बाद और ऐसे प्रयासों का प्रलेखीकरण करने के बाद सार्वजनिक एजेंसी समाधान मीटिंग में अभिभावक की प्रतिभागिता प्राप्त नहीं कर सकती तो 30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल के पूर्ण होने पर ALJ से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट को खारिज करने की प्रार्थना कर सकती है। सार्वजनिक एजेंसी के परस्पर सहमति वाले समय और स्थान की व्यवस्था करने के प्रयासों के प्रलेखीकरण में इन चीजों के रिकॉर्ड शामिल होने चाहिएः

- संपर्क के लिए किये गये फोन कॉल्स या कॉल करने के प्रयासों के विस्तृत रिकॉर्ड और इन कॉल्स के परिणाम;
- अभिभावकों से किये गये पत्राचार की प्रतियाँ और उन से प्राप्त किन्हीं जवाबों की प्रतियाँ; और
- अभिभावक के घर या कार्यस्थल की मुलाकात के विस्तृत रिकॉर्ड और इन मुलाकातों के परिणाम।

यदि सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक की डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने के 15 केलैन्डर दिनों के भीतर समाधान मीटिंग का आयोजन नहीं करती <u>या</u> समाधान मीटिंग में हिस्सा नही लेती तो अभिभावक यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हियरिंग शुरू किया जाए और 45 केलैन्डर दिनों के भीतर फैसला जारी किया जाए।

यदि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी लिखित रूप से समाधान मीटिंग को छोड़ने का निर्णय करते हैं तो डयु प्रोसेस हियरिंग की 45 केलैन्डर दिनों की समय सीमा दूसरे दिन से शुरू होती है।

मध्यस्थता या समाधान मीटिंग शुरू होने के बाद, लेकिन 30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल के पूर्ण होने से पहले यदि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी लिखित रूप से सहमत होते हैं कि कोई समझौता संभव नहीं है तो डयु प्रोसेस हियरिंग की 45 केलैन्डर दिनों की समय सीमा दूसरे दिन से शुरू होती है।

यदि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता का प्रयोग करने को सहमत होते हैं तो 30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल के पूर्ण होने पर दोनों पक्ष लिखित रूप से कोई समझौता हो जाए तब तक मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने को सहमत हो सकते हैं। हालाँकि, यदि अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी में से कोई भी मध्यस्थता प्रक्रिया से हट जाता है तो डयु प्रोसेस हियरिंग की 45 केलैन्डर दिनों की समय सीमा दूसरे दिन से शुरू होती है।

समाधान परिनिर्धारण अनुबंधः

यदि समाधान मीटिंग में असहमति का कोई समाधान पा लिया जाता है तो अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी को एक कानूनी अनुबंध करना होगा :

- जिस पर अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी के ऐसे प्रतिनिधि, जिसे सार्वजनिक एजेंसी को उस अनुबंध का सम्मान करने को बाध्य करने का अधिकार हो, ने हस्ताक्षर किये हों; और
- जो किसी भी समर्थ अधिकारक्षेत्र वाले राज्य न्यायालय (एक ऐसी राज्य की अदालत जिसे इस तरह के मामले सुनने का अधिकार हो) या फैडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अमली बनाया जा सके।

यदि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी समाधान मीटिंग के परिणाम स्वरूप कोई अनुबंध करते हैं तो दोनों में से कोई भी पक्ष उस अनुबंध को तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर खारिज कर सकता है।

डयु प्रोसेस हियरिंगः

किसी असहमति में शामिल अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी को डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने पर एक निष्पक्ष डयु प्रोसेस हियरिंग पाने का अवसर प्राप्त है।

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज ;।स्श्रद्धरू

- ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स के कर्मचारी हैं;
- के उनके हियरिंग की निष्पक्षता से संघर्ष में आए ऐसे कोई निजी या व्यावसायिक हित नहीं होंगे;
- ज्ञानी होते हैं और IDEA के प्रावधानों और IDEA से संबंधित फैडरल और राज्य के विनियम और IDEA के कानूनी सारांश समझते हैं; और
- उनके पास हियरिंग्स सुनने, और मान्य कानूनी प्रणालिओं के अनुरूप निर्णय लेने और लिखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल्य होता है।

डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट का विषयवस्तुः

जब तक कि इसके लिए दूसरा पक्ष सहमत नहीं होता, डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने वाला पक्ष (अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी) डयु प्रोसेस हियरिंग के दौरान ऐसा कोई भी मामला नहीं उठा सकते जो कि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में नहीं उठाया गया था।

हियरिंग से संबंधित अधिकारः

किसी भी डयु प्रोसेस हियरिंग (IDEA की अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों समेत) में किसी भी पक्ष को ये करने के अधिकार हैंः

- एनोटेटेड कोड ऑफ मेरीलैंड के स्टेट गवर्नमेन्ट आर्टिकल §9-1607.1 के अनुसार डयु प्रोसेस हियरिंग्स में स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करना या किसी वकील से अपना प्रतिनिधित्व करवाना;
- किसी वकील और विकलांग बच्चों की समस्याओं से संबंधित विशिष्ट ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिओं के साथ होना और उन से सलाह प्राप्त करना;
- सबूत पेश करनाख् गवाहों से सवाल जवाब करना और उनके उपस्थित होने को आवश्यक बनाना;
- ऐसे किसी भी सबूत को हियरिंग में पेश नहीं किया जाने देना जिसके बारे में दोनों पक्षों को हियरिंग के कम से कम 5 कार्य दिवसों से पहले नहीं बताया गया था;

- हियरिंग का एक शब्दशः लिखित या यदि अभिभावक ऐसा करना चुने तो इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करना; और
- हियरिंग के दौरान प्राप्त जानकारी, का लिखित या यदि अभिभावक ऐसा करना चुने तो इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप प्राप्त करना।

जानकारी का अतिरिक्त प्रकटीकरणः

किसी भी डयु प्रोसेस हियरिंग से कम से कम (5) कार्यदिवस पहले अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी को एक दूसरे को उस दिन तक पूर्ण किये गये सारे मूल्यांकनों के बारे में और उन मूल्यांकनों के आधार पर जो अनुशंसाएं प्राप्त हुई हों उन में से जिनका अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी हियरिंग में उपयोग करने कर इरादा रखते हैं, उनकी जानकारी देनी चाहिए।

कोई भी पक्ष जो कि इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता, उसे अन्य पक्ष की सहमति के बिना हियरिंग में संबंधित मूल्यांकन या अनुशंसा को दाखिल करने से ALJ रोक सकते हैं।

अभिभावक के अधिकारः

अभिभावक को ये करने के अधिकार हैंः

- बच्चे को उपस्थित रखने का;
- हियरिंग जनता के लिए खुला रखने का; और
- हियरिंग, उसमें पता चले तथ्यों और फैसलों के रिकॉर्ड आपको निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का।

हियरिंग का फैसलाः

ALJ का क्या किसी बच्चे ने निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्राप्त की या नहीं इस बात का निर्णय किन्हीं ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। जिन मामलों में किसी प्रक्रियात्मक उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो, उसमें ALJ तभी यह मान सकते हैं कि किसी बच्चे को FAPE प्राप्त नहीं हुई जब प्रक्रियात्मक कमियों नेः

- बच्चे के FAPE प्राप्त करने के अधिकार से हस्तक्षेप किया हो;
- अभिभावक के बच्चे को FAPE प्रदान किये जाने से संबंधी निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर में बड़ा हस्तक्षेप किया हो; या
- बच्चे के किसी शैक्षणिक लाभ प्राप्त कर पाने की संभावना को हानि पहुँचायी हो।

उपर वर्णित प्रावधानों में से कोई भी किसी ALJ को किसी सार्वजनिक एजेंसी को IDEA के भाग B (34 CFR 300.500 through 300.536) के तहत फैडरल विनियमों के प्रक्रियात्मक संरक्षण विभाग की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बाध्य करने से रोकता हो ऐसा नहीं माना जा सकता।

अलग डयु प्रोसेस कम्प्लेन्टः

IDEA के प्रक्रियात्मक संरक्षण विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसी अभिभावक को किसी पहले ही फाइल की जा चुकी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट से अलग मुद्दे पर एक अलग डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने से रोक सके।

हियरिंग की समयसीमाएं और सहूलियतः

30 केलैन्डर दिनों के समाधान मीटिंग्स के काल के पूर्ण होने के बाद के 45 केलैन्डर दिनों के बाद या "30 केलैन्डर दिनों के समाधान काल में अनुकूलन" या "शीघ्रता से निर्णय के लिए समयसीमाएं" विभागों में बताये अनुसार अनुकूलित समयकाल के बाद के 45 केलैन्डर दिनों के बादः

- हियरिंग में एक अंतिम निर्णय लिया जाता है; और
- निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पक्ष को डाक से भेजी जाती है।

दोनों पक्षों में से किसी की भी विनती पर कोई ALJ 45 केलैन्डर दिनों के बाद खास बढोतरी दे सकते हैं। प्रत्येक हियरिंग अभिभावक और बच्चे दोनों के लिए पर्याप्त रूप से सहूलियत भरे समय और स्थान पर होने चाहिए।

शीघ्रता से निर्णय के लिए समयसीमाएंः

जब किसी विकलांग बच्चे की ओर से इन विषयों के बारे में कोई डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट दाखिल की जाए तो सार्वजनिक एजेंसी एक शीघ्रता से होने वाले डयु प्रोसेस हियरिंग की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैः

- कोई ऐसा विकलांग बच्चा जिसे इस समय किसी स्कूल में दाखिल नहीं किया गया है और जो स्कूल नहीं जाता;
- किसी विकलांग बच्चे को अंतरिम वैकल्पिक शिक्षा समायोजन में स्थान देना; या
- प्रत्यक्ष लक्षण निर्धारण।

डयु प्रोसेस हियरिंग कम्प्लेन्ट फाइल किये जाने के 20 स्कूल दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। ALJ को हियरिंग के बाद के 10 स्कूल दिनों के भीतर निर्धारण कर लेना चाहिए। समाधान मीटिंग डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट की नोटिस प्राप्त होने के सात (7) केलैन्डर दिनों के भीतर होनी चाहिए और डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने के 15 केलैन्डर दिनों के भीतर यदि मामले का दोनों पक्षों के लिए संतोषकारक समाधान नहीं होता है तो डयु प्रोसेस हियरिंग आगे बढ़ सकता है।

हियरिंग के फैसले की निश्चयात्मकताः

यदि अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी उसके खिलाफ अपील न करें तो ALJ का फैसला अंतिम माना जाता है। हियरिंग में से प्राप्त तथ्यों और फैसलों से असंतुष्ट किसी भी पक्ष को डयु प्रोसेस हियरिंग में रखी गयी शिकायत के संबंध में दीवानी कार्रवाई करने का अधिकार है।

अपीलः

कोई भी पक्ष जो कि तथ्यों और निर्णय से संतुष्ट नहीं है उसे बिना चर्चा में पायी गयी रकम के बारे में सोचे ALJ के निर्णय की तिथि के 120 दिनों के भीतर किसी भी सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली राज्य अदालत में या युनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कॉर्ट में दीवानी मुकद्दमा शुरू करने का अधिकार है।

किसी भी दीवानी कार्रवाई में अदालत यह करेगीः

- प्रशासकीय कार्रवाई के रिकॉर्ड प्राप्त करना;
- अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी की बिनती पर अतिरिक्त प्रमाण सुनना;
- सबूतों के पुख्तापन के आधार पर उसके निर्णय सुनाना; और
- अदालत को जो योग्य लगे ऐसा फैसला सुनाना।

IDEA के भाग B में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विकलांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले यु.एस संविधान के 1990 के अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट, 1973 के रिहेबिलिटेशन एक्ट (खंड 504) या किसी भी अन्य फैडरल कानून के तहत उपलब्ध अधिकारों, प्रक्रियाओं और उपायों को सीमित करता है। केवल इन कानूनों के तहत दीवानी मुकद्दमा दायर करने से पहले अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसी ने उन सभी प्रक्रियाओं का उपयोग कर लिया होना चाहिए जो कि OAH के साथ डयु प्रोसेस हियरिंग के लिए उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह है कि अभिभावकों के लिए अन्य कानूनों के तहत ऐसे उपाय उपलब्ध हो सकते हैं जो कि IDEA के तहत उपलब्ध हों उन उपयों के साथ समसमांतर चलते हैं, पर सामान्य रूप से अन्य कानूनों के तहत राहत पाने के लिए सीधे अदालत में जाने से पहले अभिभावकों को IDEA के तहत उपलब्ध सभी प्रशासकीय उपायों (यानि कि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट, समाधान मीटिंग और निष्पक्ष डयु प्रोसेस हियरिंग प्रक्रियाएं) का प्रयोग कर लेना चाहिए।

वकील की फीस

IDEA के तहत की गयी किि भी कार्रवाई में अदालत वकील की योग्य फीस इन्हें प्रदान कर सकती हैः

- विकलांग बच्चे के माता–पिता या अभिभावक को जो कि मुकद्दमा जीत जाते हैं;
- उस अभिभावक के वकील जो कि एक ऐसी कम्प्लेन्ट करते हैं या कार्रवाई का कारण जो तुच्छ, अयोग्य या बिना किसी ठोस वजह के हो, या उस अभिभावक के वकील जो कि मुकद्दमा स्पष्ट रूप से तुच्छ, अयोग्य या बिना ठोस वजह का बन जाए उसके बाद मुकद्दमा जारी रखते हैं, के खिलाफ मुकद्दमा जीतने वाला पक्ष जो कि MSDE या कोई अन्य सार्वजनिक एजेंसी है; या

- किसी अभिभावक के वकील के खिलाफ या वकील के खिलाफ मुकद्दमा जीतने वाला पक्ष जो कि MSDE या कोई अन्य सार्वजनिक एजेंसी है, यदि अभिभाावक की कम्प्लेन्ट या कार्रवाई के कारण को किसी अयोग्य उद्देश्य जैसे कि किसी को तंग करने, बिना वजह विलंब करने या मुकद्दमें का खर्चा बढ़ाने के लिए की गयी थी।

प्रदान की गयी फीस जिस समुदाय में कार्यवाही की गयी उसमें जिस तरह की और गुणवत्ता की सेवा प्रदान की गयी उसमें वैसी सेवा के लिए अस्तित्वमान दरों पर आधारित होनी चाहिए। प्रदान की जाने वाली फीस में किसी बोनस या मल्टीप्लायर का उपयोग नहीं किया जा सकता।

फीस निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान नहीं की जा सकतीं:

- किसी भी IFSP या IEP टीम मीटिंग के लिए अलावा इसके कि यह किसी डयु प्रोसेस हियरिंग या न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप की गयी हो;
- डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल किये जाने से पहले की गयी मध्यस्थता के लिए;
- समाधान मीटिंग्स के लिए; और
- अभिभावक को किये गये निपटारे के किसी लिखित प्रस्ताव के बाद की सेवाओं के लिए यदिः
    - यदि यह प्रस्ताव फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसिजर के नियम 68 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर रखा गया हो, या कार्यवाही शुरू होने के दस से अधिक दिन पहले किसी प्रशासकीय कार्यवाही में रखा गया हो;
    - प्रस्ताव को दस दिन के भीतर स्वीकार नहीं किया गया हो; और
    - अदालत को लगता है कि अभिभावक के द्वारा हियरिंग में प्राप्त राहत अभिभावक के लिए निपटारे के प्रस्ताव से बेहतर नहीं है। यदि अभिभावक निबटारे के प्रस्ताव को ठुकरा कर सचमुच सही कदम उठा रहे हों तो फीस और खर्च प्रदान किये जा सकते हैं।

निम्नलिखित परिस्थितियों में फीस घटायीं जा सकतीं हैं:

- अभिभावक या अभिभावक के वकील ने बिना वजह असहमति के समाधान में बहुत लंबा समय लिया हो तब;
- फीस की रकम समुदाय में लगभग समान कौशल्यों, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले वकीलों के समान सेवाओं के लिए प्रति घण्टा दर से बहुत ज्यादा हो तब;
- कार्यवाही के प्रकार को देखते हुए समय और सेवाएं अत्यधिक ज्यादा हों तब; या
- डयु प्रोसेस हियरिंग की माँग की नोटिस में वकील ने योग्य जानकारी न भरी हो तब।

फीस घटायीं नहीं जायेगी यदिः

- सार्वजनिक एजेंसी ने समाधान लाने में लंबा वक्त लिया; या
- प्रक्रियात्मक संरक्षणों की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया।

क्योंकि अभिभावक का वकील की फीस वापिस पाने का अधिकार में IDEA दिखायी गयीं किन्हीं शर्तों को पूरा करने पर आधारित है, अभिभावकों को इस मामले की अपने वकील से चर्चा करनी चाहिए।

संलग्नः IDEA असहमति के समाधान की प्रक्रियाओं की तुलना करता हुआ चार्ट

	मध्यस्थता	डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट	समाधान प्रक्रिया	स्टेट कम्प्लेन्ट
कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है?	अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी, पर यह दोनों के लिए स्वैच्छिक होना चाहिए	अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी	सार्वजनिक एजेंसी डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने पर निराकरण मीटिंग का समय निर्धारित करती है, सिवा इसके कि दोनों पक्ष इसे छोड़ने या मध्यस्थता का प्रयोग करने को सहमत हों	कोई भी व्यक्ति या संस्था जिस में राज्य के बाहर के लोग भी शामिल हैं
फाइलिंग के लिए समय सीमा क्या है?	कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं	जब किसी पक्ष को सीमित अपेक्षाओं के साथ समस्या के बारे में जानकारी थी या होनी चाहिए थी उसके 2 साल[1]	किसी अभिभावक के डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने पर शुरू होती है	कथित उल्लंघन की तिथि से 1 साल
कौनसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है?	भाग 300 के तहत कोई भी मामला जिस में डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने से पहले उठने वाले मामले शामिल हैं (इसमें अपवाद हैं)[2]	पहचान, मूल्यांकन या शैक्षणिक स्थान या निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने से संबंधित कोई भी मामला (इसमें अपवाद हैं)	वे सभी समस्याएं जिनका अभिभावक की डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट में उल्लेख किया जाता है	IDEA के भाग B या भाग 300 के कथित उल्लंघन
समस्याओं से समाधान के लिए समयसीमा क्या है?	कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं	समाधान समय काल खत्म होने के 45 दिनों में, सिवा इसके कि समयसीमा में कोई खास बढोतरी की गयी हो [3, 4]	सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावक से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एक समाधान मीटिंग बुलानी चाहिए अलावा इसके कि दोनों पक्ष लिखित रूप से मीटिंग को छोड़ने को सहमत हो जाएं या मध्यस्थता का उपयोग करने को सहमत हो जाएं। समाधान का समय काल अभिभावक से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने से 30 दिनों का है, अलावा इसके कि दोनों पक्ष किसी और बात के लिए सहमत हों या अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी समाधान मीटिंग में हिस्सा न लें या सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर समाधान मीटिंग न बुला पाए [3, 5, 6, 7]	कम्प्लेनट प्राप्त होने से 60 दिन अलावा इसके कि समयसीमा में बढोतरी की इजाज़त दी जाए[8]
समस्या का समाधान कौन करता है?	किसी मध्यस्थ के साथ अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है और किसी भी समाधान के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए	हियरिंग ऑफिसर/एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ)	अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी किसी भी समाधान के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए	मेरीलैंड स्टेट डिपार्टमैन्ट ऑफ एजुकेशन[9]

[1] समयसीमा अभिभावक को लागू नहीं होती यदि अभिभावक को निम्नलिखित कारणों से डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने से रोका गयाः (1) सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा विशेष गलत बयानी कि उसने डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट का आधार बनने वाली समस्या का समाधान कर दिया है; या (2) सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा अभिभावक को वह जानकारी न दी जाना जो कि IDEA के भाग 300 के तहत अभिभावक को प्रदान की जाना आवश्यक थी। (34 C.F.R. §300.511(f)).

[2] इन अपवादों में ये शामिल हैंः सार्वजनिक एजेंसी किसी अभिभावक के खास शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की शुरूआत के लिए सहमति देने से इन्कार करने का लंघन करने के लिए डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल नहीं कर सकती या मध्यस्थता का उपयोग नहीं कर सकती (34 C.F.R. §300.300(b)(3)); सार्वजनिक एजेंसी किसी अभिभावक के अपने निजी स्कूल में दाखिल बच्चे या घर पर पढ़ाइ कर रहे बच्चे के शुरूआत के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए सहमति देने से इन्कार करने का लंघन करने के लिए डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल नहीं कर सकती या मध्यस्थता का उपयोग नहीं कर सकती; (34 C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); जिस बच्चे को अभिभावकों ने निजी स्कूल में दाखिल किया हो, उनका डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट फाइल करने का अधिकार चाइल्ड फाइन्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित है (34 C.F.R. §300.140); सार्वजनिक एजेंसी का उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक उपलब्ध कराने में विफल जाना डयु प्रोसेस कार्यवाही के लिए योग्य विषय नहीं है, मगर स्टेट एजुकेशन एजेंसी (SEA) के सामने इसके लिए स्टेट कम्प्लेन्ट फाइल की जा सकती है। (34 C.F.R. §300.156(e)).

[3] यदि डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट अनुशासन की कार्यवाही के बाद तेजी से किये जाने हियरिंग के लिए फाइल की गयी है, या बच्चा इस समय किसी स्कूल में दाखिल नहीं है, या स्कूल नहीं जाता है, तो समाधान काल 15 कैलेन्डर दिन का है (जिस में मीटिंग 7 दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए)। यदि मामला दोनों पक्षों को संतोष हो ऐसे सुलझाया नहीं गया हो, तो हियरिंग जिस दिन हियरिंग की माँग की गयी हो उसके 20 स्कूल दिनों के भीतर हो जाना चाहिए और निर्णय हियरिंग के बाद के 10 दिनों के भीतर सुना दिया जाना चाहिए। (34 C.F.R. §300.532(c) और COMAR 13A.05.01.15).

[4] कोई हियरिंग ऑफिसर /ALJ दोनों पक्षों में से किसी के भी माँग करने पर समय में निश्चित बढ़ावा प्रदान कर सकते हैं। (34 C.F.R. §300.516(c))।

[5] नियमों में 30 दिनों के समाधान काल में अनुकूलन की व्यवस्था है। डयु प्रोसेस हियरिंग के लिए 45 दिनों की समय सीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के दूसरे दिन से शुरू होती हैः (1) दोनों पक्ष लिखित रूप से समाधान मीटिंग को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं; (2) मध्यस्थता या समाधान मीटिंग शुरू हो उसके बाद लेकिन 30 दिनों का समाधान काल पूरा हो उससे पहले दोनों पक्ष लिखित रूप से इस बात के लिए सहमत हों कि कोई समझौता संभव नहीं है; (3) यदि दोनों पक्ष 30 दिनों का समाधान काल खत्म हाने के बाद लिखित रूप से मध्यस्थता जारी रखने को सहमत होते हैं, पर बाद में अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता कार्यवाही से हट जाते हैं (34 C.F.R. §300.510 (c))।

[6] समाधान मीटिंग में अभिभावक के हिस्सा न लेने के कारण जब तक मीटिंग न हो जाए, समाधान प्रक्रिया और डयु प्रोसेस हियरिंग की समयसीमा विलंबित होती हैं। (34 C.F.R. §300.510(b)(3)) ।

[7] यदि सार्वजनिक एजेंसी अभिभावक की डयु प्रोसेस कम्प्लेन्ट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर समाधान मीटिंग आयोजित नहीं कर पाती या समाधान मीटिंग में हिस्सा नहीं लेती , तो अभिभावक डयु प्रोसेस हियरिंग समयसीमा शुरू करवाने के लिए किसी ALJ से हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं। (34 C.F.R. §300.510(b)(5)) ।

[8] यदि किसी खास कम्प्लेन्ट के साथ कोई असाधारण परिस्थिति जुड़ी हुई है, या अभिभावक (या व्यक्तिया संस्थान् – यदि राज्य की कार्यवाही के तहत व्यक्ति या संस्थान् को मध्यस्थता या असहमति के समाधान के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हों) और सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता या असहमति के समाधान के वैकल्पिक तरीके आजमाने के लिए समयसीमा बढ़ाने को सहमत हो (34 C.F.R. §300.152(b)(1))।

[9] MSDE कम्प्लेन्ट प्रक्रियाएं सार्वजनिक एजेंसी को कम्प्लेन्ट का जवाब देने का मौका देती हैं, जिस में सार्वजनिक एजेंसी के विवेक के आधार पर शिकायत के समाधान के लिए प्रस्ताव रखना और शिकायत दर्ज कराने वाले अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी का स्वैच्छिक रूप से मध्यस्थता में शामिल होने का मौका भी शामिल हैं। (34 C.F.R. §300.152(a)(3)). कुछ किस्सों में शिकायत करने वाला और सार्वजनिक एजेंसी MSDE के मामले का समाधान करने की आवश्यकता के बिना ही असहमति का समाधान कर सकते हैं।